[2019] 4 एस. सी. आर 273

ग्राहकों का विभाजन

वी.

शरद गांधी

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 174)

फरवरी 27,2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: एसएस। 132 और 135 (1) (ए)-पुरावशेषों या कला खजाने के संबंध में अभियोजन-आयोजितः अभियोजन

एसएस के तहत। 132 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (1) (ए) प्राचीन वस्तुओं या कला के खजाने-पुरावशेष और कला के संबंध में वर्जित नहीं है।

खजाना अधिनियम, 1972।

पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972: एस. 30-क्या

'लागू कोई भी कानून' शब्दों का अर्थ इस प्रकार किया जाना चाहिए -

एस में दर्शाए गए दो कानून। 30 अर्थात्, प्राचीन स्मारक

संरक्षण अधिनियम, 1904 और प्राचीन स्मारक और

पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958-आयोजितः 1904 का अधिनियम

और 1958 का अधिनियम एक सामान्य वंश का संकेत देता है-यह अटूट रूप से है।

राष्ट्र की विरासत और इतिहास के साथ जुड़े हुए-ये दोनों

अधिनियम जो विशेष रूप से एस में सन्निहित हैं। 30 उनका अनुसरण किया जाता है

सामान्य शब्द जो एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति देते हैं-उक्त कारण से, "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" शब्दों का उपयोग किया जाता है-एस के पीछे का इरादा। 30 देने के लिए है

किसी भी अन्य कानून के लिए जो पुरातनता से संबंधित है, उसके पास बल बना रहता है और पुरावशेष अधिनियम के पारित होने के बाद भी इसकी प्रवर्तनीयता घोषित करता है-धाराओं के तहत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की प्रयोज्यता। 30 इसे एस के साथ संघर्ष में लाएगा। 4

अधिनियम और यह निश्चित रूप से विधायी इरादा नहीं होगा -

शब्द कोई अन्य कानून 'एस में। 30 सीमा शुल्क अधिनियम शामिल नहीं होगा

सिद्धांत/सिद्धांत-सामान्य शासन का सिद्धांत-कानूनों की व्याख्या-प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904-प्राचीन

स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।

सिद्धांत/सिद्धांतः इजस्देम जेनरिस का सिद्धांत

इसकी प्रयोज्यता-आयोजितः इजस्देम के सिद्धांत को लागू करने के लिए सामान्य तौर पर, अदालत को सामान्य शब्दों से पहले गणना की गई चीजों के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए-दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट श्रेणियों में एक होना चाहिए

उनके माध्यम से चलने वाली समानता का सामान्य सुनहरा धागा

पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 - एस. 30।

पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972: एस. 4-क्या है

एस के जनादेश को ध्यान में रखते हुए। 4 पुरावस्तु अधिनियम, अभियोजन पक्ष

एसएस के तहत। 132 / 135 निर्यात करने के प्रयास के लिए सीमा शुल्क अधिनियम

पुरातनता एस के साथ असंगत होगी। 25 आर/डब्ल्यू एस। 26 पुरावशेषों का

अधिनियम-आयोजितः एस के आधार पर। 4 पुरावस्तु अधिनियम के तहत, असंगति की सीमा को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता है-उसी के आधार पर, एस. एस. के तहत अभियोजन। 132 और 135 निहित होगा बशर्ते कि अपराध के तत्व एस. एस. में निहित हों। 132 और 135 मौजूद पाए जाते हैं-सक्षम प्राधिकारी

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का विशेष अधिकार है

इसलिए, एस के तहत अभियोजन होने पर कोई संघर्ष नहीं हो सकता है। 132 में से

सक्षम द्वारा उचित मंजूरी के बाद सीमा शुल्क अधिनियम का रखरखाव किया जाता है।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्राधिकरण-यह किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करेगा

या तो एस। 25 या एस। 26 अधिनियम का-जब कोई व्यक्ति निर्यात या प्रयास करता है

एक पुरातनता का निर्यात, यह लेकिन आवश्यक है कि उसके पास एक होगा सीमा शुल्क के संबंध में लेनदेन-यदि उसके साथ लेनदेन में

किसी भी पुरातनता या कला खजाने के निर्यात या प्रयास के संबंध में रीति-रिवाज वह एस में निहित कार्यों में से कोई भी करता है। 132 सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है एस में निहित समान अपराध। 3 आर/डब्ल्यू एस। 25 पुरावशेष अधिनियम के एस के अवयव। 25 अधिनियम और एस। 132 सीमा शुल्क अधिनियम के हैं

एक दूसरे से अलग और अलग-भारत का संविधान -

Art.254 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-ss. 132 और 135-विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 एस. एस. 3 और 5.

पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972: विधायी आशय

अधिनियम पर चर्चा की गई।

प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904: विधायी इरादा

अधिनियमन-चर्चा की गई।

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम,

1958 : अधिनियमन के विधायी इरादे-चर्चा की गई।

भारत का संविधानः Art.254-असंगतता की अवधारणा

-

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और बनाए गए कानूनों के बीच विसंगतियां राज्य के विधानमंडलों द्वारा-चर्चा की गई पुरावशेष और कला

खजाना अधिनियम, 1972।

ग्राहक विभाग v. शरद गांधी

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इजस्देम के सिद्धांतों को लागू करने के लिए

सामान्य तौर पर, अदालत को सामान्य शब्दों से पहले गणना की गई चीजों के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट श्रेणियों में समानता का एक सामान्य सुनहरा धागा होना चाहिए। निर्दिष्ट शब्दों के बाद सामान्य शब्द होने चाहिए। चूँकि क़ानून की व्याख्या का उद्देश्य वैधानिक व्याख्या का एक महत्वपूर्ण साधन होने के नाते विधायी इरादे और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राप्त करना है, इसलिए उसी द्वारा की गई माँगें अभिभूत हो सकती हैं, जब तक कि यह आवश्यक न हो, तब तक इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांतों को अपनाकर एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या करने का प्रलोभन। दो दृश्य संभव होने के कारण, एक दृश्य जो वस्तु को आगे बढ़ाता है, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। जब विधायिका कोई कानून बनाती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह सभी मौजूदा कानूनों से अवगत है। न्यायालय अज्ञानता के अनुमान के साथ शुरू नहीं करता है। विचाराधीन अधिनियम उक्त सिद्धांतों का एक स्पष्ट चित्रण प्रदान करता है। विधायिका पूरी तरह से सचेत थी कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 क़ानून पुस्तिका में मौजूद है। विधायिका अपने संचालन के प्रति सचेत थी और वह दोनों कानूनों के सह-अस्तित्व के तरीके को स्पष्ट करना चाहती थी। तदनुसार धारा 4 में, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम सभी पुरावशेषों और कला खजाने के संबंध में लागू होगा, जिसका निर्यात केंद्र सरकार या अधिकृत या एजेंसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत निषिद्ध है। एकमात्र क्षेत्र जहाँ इसने सीमा शुल्क अधिनियम के अनुप्रयोग को वर्जित किया है, वह है जहाँ अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो पुरावशेष अधिनियम के साथ असंगत होने के कारण अपरिवर्तनीय थे। [पैरा 17] [290-डी-एच]

1.2 विधायिका ने अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के लिए इस शर्त के साथ दंड का प्रावधान किया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को जब्त करने या जुर्माना लगाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वंचित नहीं करेगा। धारा 30 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 या उस समय लागू किसी अन्य कानून को ओवरराइड करना नहीं है। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति 'कोई अन्य कानून' जो सामान्य शब्दों में डाली गई है, उस कंपनी से प्रभावित है जिसे वह रखती है या जिस पड़ोस में वह पाई जाती है या क्या अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करना संभव है कि शब्द 'कोई [2019] 4 एस. सी. आर.

कुछ समय के लिए लागू अन्य कानून को व्यापक अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। [पैरा 18] [291-सी-एफ]

1.3 उद्देश्यों और कारणों के बयान, अन्य बातों के साथ, इंगित करते हैं कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 और

अवशेष अधिनियम, 1958 एक सामान्य वंश का संकेत देता है। संदर्भ समानता अनिवार्य रूप से इतिहास द्वारा प्रदान की जाती है। यह है,

राष्ट्र की विरासत और इतिहास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। सभी कानून प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की रक्षा करने के लिए कानून के इरादे को दर्शाते हैं।

इसका कारण यह है कि "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" शब्दों का उपयोग किया जाता है। शाब्दिक रूप से व्याख्या किए गए "अन्य कानून" शब्दों से पहले "कोई भी" शब्द का उपयोग यह घोषणा करने की अनुमति दे सकता है कि लागू सभी कानूनों को पारित होने के बाद भी लागू करने का इरादा है। पुरावशेष अधिनियम। [पैरा 27,28,36,37] [296-एच; 297-ए; 300-डी-ई; 301-सी-डी]

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह-संदर्भित

नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दो विशिष्ट अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों से पता चलता है कि उक्त कानून भी प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों जैसे संज्ञानात्मक विषयों से संबंधित पुरावशेष। सामान्य वंश प्रकट है। विधायी इरादा यह घोषणा करना था कि पुरावशेष अधिनियम के परिणामस्वरूप पुरातनता अधिनियम के पारित होने पर संबद्ध या संज्ञानात्मक कानूनों में निहित प्रावधान को ओवरराइड नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण खेल का उद्देश्य दोनों अनुबंधों में निहित पुरावशेषों के संबंध में निहित प्रावधानों के लिए था। धारा 30 के पीछे का इरादा किसी भी अन्य कानून के लिए प्रावधान करना था जो पुरातनता से संबंधित है ताकि बल जारी रहे और इसकी घोषणा की जा सके

पुरातनता अधिनियम पारित होने के बाद भी प्रवर्तनीयता।

उस दृष्टिकोण से सीमा शुल्क विभाग v. शरद गांधी

इस मामले में, 'कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून' शब्दों का अर्थ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में किया जाना चाहिए। [पैरा 38] [301-ई-जी; 302-डी]

1.5 पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 पहले से ही प्रदान की गई है

25. यह प्रावधान कि धारा 25 के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ज़ब्त करने या जुर्माना लगाने की शक्ति को नहीं खोएगा, स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। इसने धारा 26 में अभियोजन के लिए मंजूरी का प्रावधान किया है। विधायिका सीमा शुल्क अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से सचेत थी जब उसने पुरावशेष अधिनियम, 1972 पारित किया था। यह दोनों अधिनियमों की परस्पर क्रिया के प्रति सचेत था और इसने तदनुसार सीमा शुल्क अधिनियम बनाया। धारा 4 और धारा 25 में प्रदत्त तरीके से लागू। अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम का अनुप्रयोग इसे अधिनियम की धारा 4 के साथ टकराव में लाएगा और यह निश्चित रूप से विधायी इरादा नहीं होता। विधानमंडल ने पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन के बावजूद जुर्माना लगाने और जब्त करने का आदेश देने की शक्तियों को बचाने का ध्यान रखा है। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 30 में "कोई अन्य कानून" शब्द में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 शामिल नहीं होगा। [पैरा 40,41] [302-जी-एच; 303-ए, डी-ई]

2. अगला सवाल यह है कि क्या अभियोजन के तहत

पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 और 26। धारा 4 के आधार पर, सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधानों को छोड़कर असंगति को पूर्ण खेल प्रदान किया जाता है। उसी के आधार पर,

धारा 132 और 135 के तहत अभियोजन होगा बशर्ते कि अपराध के तत्व धारा 132 और 135 में निहित हों।

मौजूद पाए जाते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम [2019] 4 एस. सी. आर. की धारा 132 की तुलना

अधिनियम की धारा 25 के साथ, यह देखा जा सकता है कि पुरातनता अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करके किसी भी पुरातनता या कला खजाने के निर्यात या निर्यात का प्रयास करने में निहित है।

एक्ट करें। जब कोई व्यक्ति किसी प्राचीन वस्तु का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास करता है तो यह आवश्यक है कि वह रीति-रिवाजों के संबंध में लेन-देन कर रहा हो। यदि किसी प्राचीन वस्तु या कला खजाने के निर्यात या निर्यात के प्रयास के संबंध में सीमा शुल्क के साथ अपने लेन-देन में वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 में निहित किसी भी कार्य को करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उस पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो पुरातनता अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 में निहित है। अधिनियम की धारा 25 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तत्व एक दूसरे से अलग और अलग हैं। यह सच हो सकता है कि यह वही कार्य या लेन-देन हो सकता है जो दो अलग-अलग अपराधों को जन्म देता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। [पैरा 42,65,66] [303-एफ; 318-जी-एच; 319-डी-एफ]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड (2015) 5 एस. सी. सी. 718; शिव दत्त राय फतेह चंद और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , (1983) 3 एससीसी 529: [1983] 3 एस. सी. आर. 198; वी. के. अग्रवाल, सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम। वसंतराज भगवानजी भाटिया और अन्य

(1988) 3 एससीसी 467: [1988] 3 एस. सी. आर. 450; झारखंड राज्य बनाम। लालू प्रसाद यादव (2017) 8 एससीसी 1: [2017] 3 एस. सी. आर. 630; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय (2014) 9 एससीसी 772: [2014] 9 एस. सी. आर. 1063-संदर्भित।

3.1 यदि कोई निर्यातक गलत घोषणा या जानकारी देता है, तो क्या कानून को उसके साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए? धारा 132 ऐसा करती है

सटीक रूप से कि गलत घोषणा करके जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है दंडनीय। यह अकल्पनीय है कि धारा 132 नामक ऐसा प्रावधान पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 या 26 के साथ कैसे असंगत होगा। किसी भी दर पर, धारा 25 में निर्यात या निर्यात के प्रयास के लिए अभियोजन का प्रावधान करने के अलावा, यह घोषणा की गई है कि संबंधित व्यक्ति से जब्ती के साथ मुलाकात की जा सकती है।

कार्यवाही और दंड। यहां तक कि प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि धारा 25 के तहत जो अनुमति दी गई है वह मौद्रिक दंड के अर्थ में जुर्माना लगाना है, यह पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 25 के तहत अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, जब पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, तो यह ग्राहकों का विभाग नहीं होगा।

के रूप में ज़ब्ती और दंड के अधिरोपण को रोकें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 में निहित एक विशिष्ट और अलग अपराध के लिए अभियोजन किसी भी तरह से धारा 25 के साथ असंगत होने के रूप में निषिद्ध है। इस संबंध में हालांकि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण पुरावशेष अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से अलग है, धारा 26 के तहत अभियोजन को मंजूरी देने का अधिकार केवल क्या है

पुरावस्तु अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकरण सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन को स्वीकार करने का विशेष प्राधिकरण है। इसलिए, यदि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित मंजूरी के बाद बनाए रखा जाता है, तो कोई संघर्ष नहीं हो सकता है। यह किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 25 या धारा 26 का उल्लंघन नहीं करेगा। [पैरा 67] [320-बी-जी]

3.2 अपीलार्थी द्वारा दायर तत्काल शिकायत में, यह उल्लेख किया गया था कि एक लकड़ी के डिब्बे को रोका गया था। सामग्री।

उक्त लकड़ी के डिब्बे को 'पत्थर की आकृति हस्तशिल्प' घोषित किया गया था। इसे एक पुरातनता होने का संदेह करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को बुलाया गया और यह घोषित किया गया कि यह एक पुरातनता है और इसकी पहचान बुद्ध के रेत के पत्थर के सिर के रूप में की गई थी। प्रतिवादी ने अपने बयान में कहा था कि

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 में कहा गया है कि वह केवल एक कमीशन एजेंट था और उसने अपने मुवक्किल द्वारा दी गई घोषणा तैयार की थी। अंत में यह कहा गया कि आरोपी ने जब्त किए गए प्राचीन टुकड़े यानी बुद्ध के रेत के पत्थर के सिर को अवैध रूप से निर्यात करने का प्रयास किया। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (1) (ए) ऐसी वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत लगाए जा रहे किसी भी प्रतिबंध से धोखाधड़ी से बचने या बचने का प्रयास करने के लिए दंडित करती है। अब, शिकायत के अंतिम भाग के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात का संदर्भ था

पुरावस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत पुरातनता को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसे विदेश व्यापार (विकास और विकास) की धारा 3 के साथ पढ़ा जा सकता है। विनियमन) अधिनियम 1992 जिसके आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत प्रतिबंध जारी किए गए माने जाते हैं, जो निर्यात और आयात नीति के अध्याय 11 के पैराग्राफ 123 में जारी किए गए हैं, जिसे धारा 5 [2019] 4 एस. सी. आर. के तहत जारी किया गया माना जाता है।

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 विशेष रूप से प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करता है।

उस समय लागू किसी भी कानून के तहत। इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत अभियोजन चलाया जाता है। [पारस 69,71,72] [321-सी-ई; 323-ए, सी]

3.3 धारा 3 की उप-धारा 3 का तात्पर्य यह घोषित करना है कि जिन सभी वस्तुओं पर उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश लागू होता है, उन्हें उन वस्तुओं के रूप में माना जाना चाहिए जिनका आयात और निर्यात निषिद्ध है।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 3 पुरातनता या कला खजाने के निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यह केंद्र सरकार या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निर्यात को स्वीकार करती है। इसलिए, अभियोजन शुरू किया जाता है

पुरावस्तु अधिनियम प्राचीन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है और इसे विदेश व्यापार और विकास अधिनियम 1992 की धारा 3 के साथ पढ़ा जाता है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 लाने वाले वर्ष के लिए निर्यात और आयात नीति के साथ पढ़ा जाता है। [पारस 74,75] [324-बी-सी, ई-जी] 3.4 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (1) (ए) के अंतिम अंग में, अपराध के तत्व धोखाधड़ी चोरी हैं।

या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत या ऐसे माल के संबंध में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए जा रहे किसी भी निषेध से बचने का प्रयास करना। वर्ष के लिए आयात निर्यात नीति के आधार पर 1992-1997 की धारा 3 के साथ पढ़ें विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, प्राचीन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत जारी किया गया माना जाता है। इसलिए निर्यात

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (3) के प्रावधानों द्वारा पुरातनता और कला के खजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। धारा 135 (1) (ए), जहाँ तक तीसरे अंग के तहत अभियोजन का संबंध है, को धारा 11 के तहत कहा जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम को धारा 135 (1) (ए) के साथ पढ़ा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 (1) की सहायता से भी। यह धोखाधड़ी से बचने या बचने का प्रयास करने के लिए अभियोजन का मामला बना देगा।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में निहित निषेध, हालांकि पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 को भी लागू करता है। धारा 135 (1) (ए) के अंतिम अंग का दूसरा भाग धोखाधड़ी से बचने या किसी अन्य कानून में निहित निषेध से बचने के प्रयास के लिए अभियोजन की अनुमति देता है। सीमा शुल्क विभाग के तथ्यों में उक्त निषेध v.

शरद गांधी

यह मामला पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित निषेध को आकर्षित करेगा। जहां तक उक्त अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन का संबंध है, अपराध के घटकों में पुरावशेष या कला खजाने का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास शामिल है। उसी के विपरीत,

धारा 135 (1) (ए) के तहत अपराध के घटकों में एक अतिरिक्त और अलग तत्व शामिल है, अर्थात् धोखाधड़ी से बचना।

या माल के निर्यात के मामले में निषेध से बचने का प्रयास करना या उन वस्तुओं के निर्यात का प्रयास करना जो निषिद्ध हैं। चाहे वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत मानित निषेध के आधार पर हो या केवल धारा 135 (1) (ए) के तीसरे अंग में अभियोजन बनाए रखने के लिए पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित निषेध के आधार पर, अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने धोखाधड़ी से निर्यात के खिलाफ निषेध से बचने या बचने का प्रयास किया। इसलिए, उक्त अर्थ में, धारा के तहत अपराधों के तत्व

135 (1) (क) और पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध अलग और विशिष्ट हैं। [पैरा 76] [324-जी-एच; 325-ए-एफ]

4.1 हालाँकि, सवाल यह उठेगा कि क्या पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए,

पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित पुरावशेष अधिनियम की धारा 26 के साथ पठित धारा 25 के साथ असंगत होगा। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की मंजूरी के आधार पर किया जाना है जो वैधानिक मंजूरी प्राधिकरण है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन की तरह, 135 (1) (ए) के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर होना चाहिए, न कि पुरावशेष अधिनियम। [पैरा 77] [325-जी, एच]

4.2 धारा 24 यह तय करने की शक्ति से संबंधित है कि कोई वस्तु पुरातनता है या कला का खजाना। यह घोषणा करता है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो चाहे वह किसी लेख, वस्तु या वस्तु या पांडुलिपि के तहत हो।

अभिलेख या अन्य दस्तावेज एक पुरातनता या कला का खजाना है या नहीं है या एक कला का खजाना है या नहीं है, इस मामले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या महानिदेशक [2019] 4 एस. सी. आर. द्वारा अधिकृत निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

और ऐसे प्रश्न पर अधिनियम के उद्देश्य के लिए उसका निर्णय अंतिम होगा। वास्तव में, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी के लिए एक मामला है कि उन्होंने बुद्ध के पत्थर के सिर की जांच कराई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के अधिकृत मनोनीत व्यक्ति द्वारा एक राय है, जिसमें इसे एक पुरातनता पाया गया है और अपीलार्थी अधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर और विशेष रूप से पुरावशेष अधिनियम की धारा 24 के लिए संदर्भ दिया गया है। शिकायत में, निस्संदेह पुरातनता के निर्यात के खिलाफ निहित निषेध का संदर्भ है,

अन्य बातों के साथ-साथ पुरावशेष अधिनियम के तहत। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 4 के तहत, सीमा शुल्क अधिनियम को विसंगति की सीमा को छोड़कर लागू किया गया है। दो अधिनियमों के बीच अंतर खेल को निम्नानुसार समझा जा सकता है-जबकि पुरातनता या कला खजाने के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन की अनुमति हो सकती है, जब यह सवाल उठता है कि क्या कोई वस्तु पुरातनता है या नहीं या कला खजाना है या नहीं, तो पुरातनता अधिनियम की धारा 24 के तहत निहित प्रावधान लागू होंगे और प्रश्न का निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या उनके अधिकृत मनोनीत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और उसके साथ अंतिमता संलग्न की जाएगी। महानिदेशक या उनके अधिकृत अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे जिनके पास आवश्यक ज्ञान, अनुभव होगा और वे विवाद के मामले में एक आधिकारिक राय दे सकते हैं कि कोई वस्तु पुरातनता या कला का खजाना है या नहीं। इस प्रक्रिया से दोनों प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है और प्राचीन वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है।

जहां इसके लिए कहा जाए, वहां कार्य करें। [पारस 78,79] [326-बी-ई, जी, एच; 327-ए-सी]

5.1 'असंगति' की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में पाई जाती है। अनुच्छेद 254 में एक मामूली टिप्पणी है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगतियों के बारे में बताती है। अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उप-अनुच्छेद (2) के अधीन है। उक्त अनुच्छेद भारत में आंशिक रूप से अर्ध-संघीय संरचना के जटिल विषय से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान होने के नाते धारा 4 के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकता है जो ग्राहकों के विभाग के बीच असंगति के बारे में बात करता है।

शरद गांधी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और पुरावशेष अधिनियम। [पैरा 80]

[327 - सी-ई]

5.2 हालांकि यह सच हो सकता है कि पुरावशेष अधिनियम एक है

व्यापक कानून, इसे पूर्ण या पूर्ण कानून नहीं माना जा सकता है। संपूर्ण कोड। बेशक, तिरस्कार से संबंधित सिद्धांत

दो विधानसभाओं के बीच विधायी शक्ति के परस्पर विरोधी दावों के संदर्भ में व्याख्या की गई है। इस मामले में दोनों

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और पुरावशेष अधिनियम संसद द्वारा बनाए गए हैं। [पैरा 83] [329-डी, ई]

6. सीमा शुल्क अधिनियम को इस हद तक पूरा खेल दिया जाता है कि यह

धारा 4 के तहत पुरातनता अधिनियम के साथ असंगत नहीं है। यह सिद्धांत कि एक लेन-देन या तथ्यों का एक ही समूह एक से अधिक विशिष्ट अपराध को जन्म दे सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में विधायी इरादा उन प्रावधानों से स्पष्ट हो जो ऐसे अपराधों को पैदा करते हैं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभियोजन

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत पुरावशेषों या कला खजाने के संबंध में वर्जित नहीं है।

[पारस 84,85] [329-ई-एच]

3 एससीसी 431: [1979] 3 एस. सी. आर. 254-निर्भर। इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक और

एक और (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; सहायक

सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता बनाम। सीताराम अग्रवाल और

एक और ए. आई. आर 1966 एस. सी. 955: [1966] एस. सी. आर. 1-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 5 एस. सी. सी. 718

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1983] 3 एससीआर 198

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[1988] 3 एससीआर 450

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2017] 3 एससीआर 630

पै

रा 45

संदर्भित किया गया है

[2014] 9 एससीआर 1063

पै

रा 46

संदर्भित किया गया है

[1966] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

[1979] 3 एससीआर 254

उस पर भरोसा करें

पै

रा 80

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

174 2019 का

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 27.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2006 का रेव. पी. सं. 41।

अमन लेखी, ए. एस. जी., हरीश पांडे, सुश्री बीनू टम्टा, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. सुशील बलवाड़ा, श्रीलोक नाथ रथ, वाई. पी. सिंह, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे. 1. विशेष अनुमति द्वारा रखी गई अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत उसे अपराधों से मुक्त करने को बरकरार रखा गया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन को प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करते हुए अनुमति दी कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के संबंध में एक पूर्ण प्रतिबंध है, और सीमा शुल्क कलेक्टर के पास केवल वस्तुओं को जब्त करने और पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 (जिसे इसके बाद "पुरावशेष अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति है। मजिस्ट्रेट ने डॉ. वी. जे. ए. फ्लिन बनाम मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का पालन करने का इरादा किया। एस. एस. चौहान और एक अन्य। द.

उच्च न्यायालय विवादित आदेश द्वारा उक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने आया है।

2. हमने श्री अमन लेखी को सुना है, जो अपीलार्थी की ओर से पेश हुए जाने-माने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं और प्रतिवादी की ओर से पेश हुए जाने-माने वकील भी हैं। 3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष अनुमति याचिका जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, उसे एसएलपी (सीआरएल) के साथ टैग करने का आदेश दिया गया था। 1996 का सं. 1525। उक्त विशेष अनुमति याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए भरोसा किया है। जैसा कि यह पता चला है, उक्त विशेष अनुमति याचिका को उक्त मामले में प्रतिवादी की मृत्यु के कारण दिनांक 09.05.2016 के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया है। विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तर्क देंगे कि न्यायालय के तर्क में एक स्पष्ट त्रुटि है जिसके द्वारा उसने निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन ग्राहकों का विभाग है।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत प्राप्य। त्रुटि अधिनियम की दोनों योजनाओं की गलत समझ से उत्पन्न होती है

कानून के सिद्धांत जो स्थिति को नियंत्रित करते हैं।

4. पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 की योजना।

धारा 3 पुरावशेषों और कला खजाने के निर्यात को प्रतिबंधित करती है। यह.

इस प्रकार हैः

" 3. प्राचीन वस्तुओं और कला के खजाने में निर्यात व्यापार का विनियमन। (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, यह केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण या एजेंसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिसम्मत नहीं होगा।

किसी भी पुरातनता या कला खजाने का निर्यात करने के लिए। (2) जब भी केंद्र सरकार या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकरण या एजेंसी किसी भी प्राचीन वस्तु या कला का निर्यात करने का इरादा रखती है।

ऐसे खजाने का निर्यात केवल इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए परमिट के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार किया जाएगा।

ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विहित किया जाए।

5. धारा 4 एक अन्य सामग्री प्रावधान है और इसलिए हम ए. एम. ई. का विज्ञापन करते हैं। वह इस प्रकार हैः -

" 4. 1962 के अधिनियम 52 का अनुप्रयोग। - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 उन सभी पुरावशेषों और कला खजानों के संबंध में प्रभावी होगा, जिनका निर्यात किसी भी व्यक्ति (केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण या एजेंसी के अलावा) द्वारा किया जाता है। धारा 3 के तहत निषिद्ध है सिवाय इसके कि वह अधिनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है और इसके अलावा कि (उस अधिनियम की धारा 125 में कुछ भी निहित होने के बावजूद) उस अधिनियम के तहत अधिकृत कोई भी जब्ती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्रीय

सरकार इस ओर से किए गए आवेदन पर, अन्यथा

निर्देश देते हैं। " 6. धारा 24 इस प्रकार हैः

" 24. यह निर्धारित करने की शक्ति कि कोई वस्तु, आदि है या नहीं।

इस अधिनियम के तहत, इसे महानिदेशक को भेजा जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या किसी ऐसे अधिकारी को जो [2019] 4 एस. सी. आर. से कम न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निदेशक का पद अधिकृत

महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय

या ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रश्न पर होगा

7. अगला महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 25 है। वह इस प्रकार हैः 25. दंड। — (1) यदि कोई व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी प्राचीन वस्तु या कला खजाने का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास करता है, तो वह किसी भी ज़ब्ती या दंड के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जिसके लिए वह दंडनीय होगा।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधान, जैसा कि धारा 4 द्वारा लागू किया गया है, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो तीन साल तक बढ़ सकता है।

और ठीक के साथ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 या धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है 12 या धारा 13 या धारा 14 या धारा 17 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3), वह एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा।

जो छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ और

पुरातनता जिसके संबंध में अपराध किया गया है ज़ब्त किए जाने योग्य होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी लाइसेंस अधिकारी को निरीक्षण करने से रोकता है

धारा 10 के अधीन रखा गया कोई अभिलेख, छायाचित्र या रजिस्टर या

केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को रोकता है

धारा 23 की उप-धारा (1) किसी में प्रवेश करने या तलाशी लेने से

उस उप-धारा के तहत, वह दंडनीय होगा

कारावास जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ। 8. धारा 26 धारा 25 की एक सहयोगी धारा है और यह अनिवार्य है।

गंभीरता से संबोधित किया जाए। वह इस प्रकार हैः

" 26. अपराधों का संज्ञान। - (1) धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा सिवाय इसके कि -

या सरकार के ऐसे अधिकारी की मंजूरी से जो हो सके

इस संबंध में निर्धारित।

(2) कोई भी अदालत उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय शुल्क विभाग के।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

आम तौर पर या विशेष रूप से एक अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत।

(3) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से कम कोई भी अदालत इसके तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

यह अधिनियम "।

9. अंतिम प्रावधान जो हम पर लागू किया गया है और जो अधिनियम की योजना पर प्रकाश डालेगा, वह धारा 30 है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है निम्नलिखित हैः

" 30. अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। - इस अधिनियम के प्रावधान प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) या उस समय लागू कोई अन्य कानून।

10. भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत अभियोजन इस आधार पर शुरू किया गया था कि धारा 132 और 135 के तहत अपराधों के तत्व मौजूद थे। वे स्पष्ट करते हैं कि यह अधिनियम की धारा 25 (1) के अर्थ में अभियोजन का मामला नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने में कोई रोक नहीं है। जहाँ तक धारा 4 का संबंध है, वह बताते हैं कि वास्तव में यह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही को बचाता है। एकमात्र वर्जना यह है कि, किसी भी हद तक, कोई भी विसंगति

सीमा शुल्क अधिनियम और अधिनियम के बीच, पुरावशेष अधिनियम के प्रावधान हावी रहेंगे। वह बताते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत अभियोजन बनाए रखने में कोई विसंगति नहीं है। अधिनियम की धारा 25 को आगे बढ़ाते हुए, वह इंगित करेंगे कि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 25 के तहत अभियोजन नहीं है। तथ्यों का एक समूह एक से अधिक अपराध करने का कारण बन सकता है। प्रस्तुत किया जाने वाला और विचार किए जाने वाला प्रमुख प्रश्न यह है कि वे कौन से तत्व हैं जो एक अधिनियम के तहत अपराध बनाते हैं। एक लेन-देन में एक व्यक्ति दो या दो से अधिक अलग-अलग अपराधों को कर सकता है। यह न तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के विपरीत है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कियाः

(i) 1988 (3) SCC 467 [2019] 4 S. C. R.

((ii) 1983 (3) एस. सी. सी. 529 (iii) 2012 (7) एस. सी. सी. 621

11. धारा 25 पर आधारित अगला तर्क यह है कि धारा के शीर्षक के अवलोकन से पता चलता है कि यह दंड से संबंधित है। इसका कारण

उच्च न्यायालय ने उस निर्णय में पक्ष लिया है जिस पर भरोसा किया गया था और विवादित निर्णय यह है कि संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 25 के तहत, [वास्तव में, उच्च न्यायालय पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (इसके बाद "1947 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रख रहा था], सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जो अनुमत है, वह केवल जब्ती की कार्यवाही और दंड की कार्यवाही है। जुर्माने की कार्यवाही को एक मौद्रिक घटक के निष्पादन के रूप में समझा गया है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लेता है

तर्क के लिए अपवाद। दूसरे शब्दों में, यह उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई व्याख्या के आधार पर भी आगे बढ़ना

कि संशोधन के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत जो अनुमति दी गई है, वह केवल ज़ब्त करना और जुर्माना लगाना है, जुर्माना लगाने का कोई संकीर्ण अर्थ नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। दूसरी ओर, जुर्माने में अभियोजन के बाद दंडात्मक परिणाम शामिल होगा और इस तरह के अभियोजन में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत अभियोजन शामिल होगा।

12. इसके अलावा, वह शिकायत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 30 के वास्तविक महत्व को नजरअंदाज कर दिया है। धारा 30 जैसा कि हमारे पास है

यह घोषणा की जाती है कि अधिनियम के प्रावधान उन विशिष्ट कानूनों के अतिरिक्त होंगे जो उसमें उल्लिखित हैं लेकिन यह वहीं समाप्त नहीं होता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यह लागू किसी भी अन्य मौजूदा कानून के अतिरिक्त होगा। वह शिकायत करता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 30 की व्याख्या में न्यायनिर्णायक के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की और यह अभिनिर्धारित किया कि सीमा शुल्क अधिनियम एक ऐसा अधिनियम नहीं होगा जिसे निम्नलिखित के दायरे में अपनाया जाएगाः अंतिम अंग के तहत धारा 30 और इसलिए, यह एक मौजूदा कानून नहीं होगा।

13. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करेंगे। वे यह इंगित करेंगे कि पुरावशेष अधिनियम जो वास्तव में वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम की तुलना में बाद में है। यह अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होना चाहिए। यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और यह सीमा शुल्क अधिनियम में निहित सामान्य कानून पर हावी होगा।

ग्राहक विभाग v. शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

14. सबसे पहले, हम अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार करेंगे कि सीमा शुल्क अधिनियम भी पुरावशेष अधिनियम की धारा 30 के अर्थ से बाहर एक मौजूदा कानून है। उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है कि 'कोई भी लागू कानून' शब्दों का अर्थ धारा 30 में इंगित दो कानूनों के साथ सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए।

अर्थात्, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।

15. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने समर्थन मांगा

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड ने 2015 (5) एस. सी. सी. 718 में इस सिद्धांत के लिए रिपोर्ट किया कि इजसडेम जेनरिस के सिद्धांतों का उपयोग एक संकीर्ण स्थिति बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

निर्माण जहाँ एक बड़े और उद्देश्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता होती है। हम पैराग्राफ में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित चर्चा का विज्ञापन करेंगे।

10. यह नीचे लिखा हैः

" 10. साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 में आने वाले शब्दों "अनुबंध से उत्पन्न अधिकार को लागू करने के लिए बंद करने का दावा या अन्य कार्यवाही" का अर्थ लगाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने "अन्य कार्यवाही" की व्यापकता को सीमित करने और इसे लागू करने से इनकार कर दिया।

एजुस्डेम जेनरिस नियम के रूप में पूर्ववर्ती वाक्यांश 'सेट-ऑफ का दावा', एक जीनस या श्रेणी का गठन नहीं करता था। उस मामले में, हिदायतुल्ला,

जे. ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कि नियम को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि "एक जीनस गठित या एक श्रेणी का खुलासा नहीं किया जाता है", निम्नलिखित चित्रण दियाः

" अभिव्यक्ति पुस्तकों, पर्चे, समाचार पत्रों और

अन्य दस्तावेजों, निजी पत्रों को शामिल नहीं किया जा सकता है यदि 'अन्य दस्तावेजों' की व्याख्या पहले की बातों के साथ की जाती है। लेकिन एक प्रावधान में 'समाचार पत्र या अन्य दस्तावेज, जो दुश्मन को गुप्त जानकारी देने की संभावना रखते हैं', 'अन्य दस्तावेज' शब्दों में किसी भी प्रकार का दस्तावेज शामिल होगा।

और अखबार से उनका रंग नहीं लेते थे।

16. फिर भी हम पैराग्राफ 12 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के बयान का लाभप्रद विज्ञापन कर सकते हैं। वही नीचे पढ़ा गया हैः

" 12. इजस्डेम जेनरिस के नियम को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह कानून का एक अलंघनीय नियम नहीं है, लेकिन यह केवल

इसके विपरीत संकेत के अभाव में अनुमेय निष्कर्ष, और जहां संदर्भ और अधिनियम [2019] का उद्देश्य और शरारत 4 एस. सी. आर.

सामान्य महत्व के शब्दों के साथ सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह अदालतों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उन शब्दों को दें

सरल और सामान्य अर्थ। जैसा कि लॉर्ड स्कारमैन ने कहा हैः

" यदि किसी क़ानून का विधायी उद्देश्य ऐसा है कि एक वैधानिक श्रृंखला को सामान्य माना जाना चाहिए, तो नियम सहायक है। लेकिन, यदि ऐसा नहीं है, तो क़ानून के उद्देश्य को पूरा करने की तुलना में नियम के हारने की अधिक संभावना है। यह नियम कई अन्य वैधानिक नियमों की तरह है।

व्याख्या, एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक बुरा गुरु है।

तो एजुस्डेम जेनरिस नियम के आधार पर एक संकीर्ण निर्माण एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर संसद के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक निर्माण को रास्ता देना पड़ सकता है।

17. सवाल यह होगा कि क्या उच्च न्यायालय सही है।

इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांतों को लागू करना। यह लागू होने के लिए, अदालत को सामान्य शब्दों से पहले गणना की गई चीजों के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट श्रेणियों में समानता का एक सामान्य सुनहरा धागा होना चाहिए। निर्दिष्ट शब्द होने चाहिए

सामान्य शब्दों के बाद। चूँकि क़ानून की व्याख्या का उद्देश्य वैधानिक व्याख्या का एक महत्वपूर्ण साधन होने के नाते विधायी इरादे और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राप्त करना है, इसलिए उसी द्वारा की गई माँगें अभिभूत हो सकती हैं, जब तक कि यह आवश्यक न हो, तब तक इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांतों को अपनाकर एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या करने का प्रलोभन। दो विचार संभव होने के कारण, एक दृष्टिकोण जो उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तथ्यों में न्याय से संबंधित सिद्धांतों पर भरोसा करना उचित होगा। जब विधायिका कोई कानून बनाती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह सभी मौजूदा कानूनों से अवगत है। न्यायालय अज्ञानता के अनुमान के साथ शुरू नहीं करता है। विचाराधीन अधिनियम, वास्तव में उपरोक्त सिद्धांतों का एक स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करेगा। विधायिका पूरी तरह से सचेत थी कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 क़ानून पुस्तिका में मौजूद है। विधायिका थी इसके संचालन के प्रति सचेत और यह उस तरीके को स्पष्ट करना चाहता था जिसमें दोनों कानून सह-अस्तित्व में थे। तदनुसार, धारा 4 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम सभी के संबंध में लागू होगा।

पुरावशेष और कला के खजाने, जिनका केंद्र सरकार या अधिकृत या एजेंसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्यात अधिनियम की धारा 3 के तहत निषिद्ध है। एकमात्र क्षेत्र जहाँ इसने सीमा शुल्क अधिनियम के अनुप्रयोग को वर्जित किया है, वह है जहाँ अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो थे

पुरावशेष अधिनियम के साथ असंगत होना अपरिवर्तनीय है।

प्राचीन वस्तुओं या कला खजाने के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पारित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत आम तौर पर उपलब्ध शक्तियां उपलब्ध नहीं होगा।

18. इसके आगे भी अधिनियम की धारा 25 में उपयोग किए गए शब्दों से विधायी प्रकाश चमकता है। विधायिका ने दंड का प्रावधान किया है

अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन इस शर्त के साथ कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोजन सक्षम प्राधिकारी को वंचित नहीं करेगा

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ज़ब्त करने या जुर्माना लगाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना। यह प्रश्न कि धारा 25 (1) में 'दंड' शब्द का क्या अर्थ है, एक अलग मामला है जिसका हम उचित समय पर विज्ञापन करेंगे। इसके बाद धारा 30 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 या उस समय लागू किसी अन्य कानून को ओवरराइड करना नहीं है। जिस प्रश्न पर हमें विचार करना है और निर्णय लेना है, वह यह है कि क्या

अभिव्यक्ति 'कोई अन्य कानून' जो सामान्य शब्दों में डाली गई है, उस कंपनी से प्रभावित होना है जिसे वह रखती है या जिस पड़ोस में वह पाई जाती है या क्या अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करना संभव है कि उस समय के लिए 'कोई अन्य कानून' शब्दों को व्यापक अर्थ स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पुरावशेष अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। हम इस मोड़ पर पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार हैः

" वर्तमान में पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947, पुरातन या ऐतिहासिक रुचि या महत्व की वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने का प्रावधान करता है। अधिनियम के कार्यकरण में अनुभव ने दिखाया है कि आधुनिक
व्यवस्था में इसमें निहित प्रावधान भारत में प्राचीन वस्तुओं और कला खजाने को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्राचीन वस्तुओं और कला के खजाने के निर्यात व्यापार को विनियमित करने और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी और धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है। [2019] 4 एस. सी. आर. में प्रावधान करना भी आवश्यक माना जाता है।

पुरावशेषों और कला के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए ऐसा कानून सार्वजनिक स्थानों पर संरक्षण के लिए खजाने। वर्तमान विधेयक है -

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा है।

(जोर दिया गया)

19. सबसे पहले, हमें यह पता लगाना होगा कि क्या कोई सामान्य वंश है

दो कानूनों की विशिष्ट गणना में शामिल है अर्थात् प्राचीन

संरक्षण अधिनियम, 1904 और प्राचीन स्मारक और

पारिस्थितिकीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।

20. आइए हम उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की जांच करें जिसके कारण

इन दो उपरोक्त अधिनियमों में से एक।

21. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 इस प्रकार हैः

" " " " इस उपाय का उद्देश्य भारत के प्राचीन काल को संरक्षित करना है।

पुरावशेषों में स्मारक और खुदाई को रोकने के लिए

ऐतिहासिक रुचि और मूल्य के स्थलों के अनधिकृत व्यक्ति।

2. 1898 में पुरातत्वीय अन्वेषण और अनुसंधान का प्रश्न

ध्यान आकर्षित किया और इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता

प्राचीन काल के स्मारकों और अवशेषों का संरक्षण प्रभावित हुआ

भारत सरकार। यह तब स्पष्ट था कि कानून

उस पर

सरकार को उनका निर्वहन करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता थी

संसद के मौजूदा अधिनियमों को संशोधित किया गया ताकि कुछ को मूर्त रूप दिया जा सके जिन प्रावधानों को हाल के विधान में स्थान मिला है

यूनान और इटली की प्राचीन वस्तुएँ। यह मसौदा इसके लिए परिचालित किया गया था स्थानीय सरकारों की राय और प्रस्तुत किए गए उनके जवाब

बंगाल को अब तक मूर्त रूप दिया गया है जहाँ तक वे उपयुक्त पाए गए थे। और वर्तमान विधेयक इसका परिणाम है।

3. विधेयक का पहला भाग "प्राचीन काल" के संरक्षण से संबंधित है।

स्मारकों की एक अभिव्यक्ति जिसे खंड 2 में परिभाषित किया गया है

(अब खंड 2)। यह उपाय केवल उन्हीं पर लागू होगा जो समय-समय पर स्पष्ट रूप से इसकी सामग्री के भीतर लाया जाता है, हालांकि ग्राहक विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

"संरक्षित स्मारक" घोषित किया जा रहा है। भारत में अधिक संख्या में प्रसिद्ध इमारतें पहले से ही कब्जे में हैं या सरकार के नियंत्रण में; लेकिन संरक्षण के योग्य अन्य भी हैं जो निजी मालिकों के हाथों में हैं। इनमें से कुछ का बीमा पहले ही हो चुका है या वे तेजी से सड़ रहे हैं। इनका संरक्षण अब निर्दिष्ट विधेयक के खंड का मुख्य उद्देश्य है और विधेयक के प्रावधान सामान्य रूप से धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 (1863 का 20) की धारा 23 में प्रतिपादित नीति के अनुसार हैं, जो नुकसान को रोकने और संरक्षित करने के सरकार के अधिकार को मान्यता देता है और बचाता है।

अपनी प्राचीनता में उल्लेखनीय इमारतें और उनके ऐतिहासिक या वास्तुशिल्प मूल्य या जनता की सुविधा के लिए आवश्यक हैं। हस्तक्षेप करने की शक्ति वर्तमान में उन मामलों तक सीमित है जिन पर 1810 के बंगाल विनियमन 19 की धारा 3 या 1817 के मद्रास विनियमन VII की धारा 3 लागू होती है। वर्तमान विधेयक को तैयार करने में सरकार का उद्देश्य भलाई की आवश्यकता को पूरा करना है संबंधित मालिकों के सहयोग को सुनिश्चित करेगा और यह उम्मीद करता है कि जो कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, वह निजी प्रयास के दमन के बजाय प्रोत्साहन के लिए हो सकती है।

विधेयक में प्रावधान किया गया है कि इमारत के मालिक या प्रबंधक को, जो उससे अधिक देखभाल के योग्य है, इसकी सुरक्षा के लिए एक समझौता करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और वह शर्तों पर आने से इनकार करने की स्थिति में कलेक्टर इसे अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है या इसके आवेदन को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्मारक का उपयोग किए जाने की स्थिति में अनिवार्य अधिग्रहण का कोई सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में या अन्य मामले में जब तक मालिक को ऊपर बताए गए प्रकार का समझौता करने का अवसर नहीं मिल जाता है; और यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाए गए स्मारक का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जो इसके चरित्र से असंगत है।

या इसकी नींव के उद्देश्य से, और यह कि, जहां तक उद्देश्य के साथ संगत है, जनता को इसे मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार होगा शुल्क लेते हैं। खंड 11 (अब धारा 10) के चौथे परंतुक द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के उद्देश्य से स्मारक के मूल्य का आकलन करने में इसके पुरातात्विक, कलात्मक या ऐतिहासिक गुणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। खरीदार के रूप में सरकार का उद्देश्य [2019] 4 एस. सी. आर.

सार्वजनिक खर्च पर और जनता के लाभ के लिए अपने सभी संघों के साथ एक प्राचीन स्मारक को संरक्षित करने के लिए, यह माना जाता है कि उन संघों के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

[ध्यान दें: - चूंकि खंड 11 का चौथा परंतुक का विषय था -

प्रतिकूल टिप्पणी, इसे प्रवर समिति द्वारा हटा दिया गया था।]

4. विधेयक का दूसरा भाग चल वस्तुओं से संबंधित है।

ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि वाले और इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पहले में आभूषण, तामचीनी, चांदी और

तांबा

अगर किसी व्यापारी को बेचने और यात्री को उन्हें खरीदने से रोकना वांछनीय होता तो भी यह अव्यावहारिक होता। मूर्तिकला नक्काशी, चित्र, बस-रिलीफ शिलालेख और इसी तरह के शिलालेख अपने आप में एक अलग वर्ग बनाते हैं, क्योंकि उनका मूल्य उनके स्थानीय संबंध पर निर्भर करता है। स्वात के मामले में ऐसी पुरावशेष भारत के बाहर या मूल राज्यों में पाई जा सकती हैं और यह विधानमंडल

यह सीधे नहीं पहुँच सकता है; जबकि ब्रिटिश क्षेत्र के संबंध में और मौजूदा कानून के तहत, भारतीय खजाना ट्रोव अधिनियम, 1878 (1878 का 6) के प्रावधानों से परे जाना असंभव है। (इन परिस्थितियों में, विधेयक के खंड 18 द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि ब्रिटिश भारत से किसी भी प्राचीन वस्तुओं को हटाने से रोकने के लिए शक्ति ली जाए, जिन्हें देश में रखना वांछनीय समझा जा सकता है, और साथ ही साथ आयात को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार इस तरह के लेखों में मसौदे पर रोक लगाने से यह माना जाता है कि ब्रिटिश क्षेत्र के बाहर और बाहर स्थित कई दिलचस्प स्थानों को लूट से बचाना संभव है। खंड 19 का उद्देश्य मूर्तियों और शिलालेखों जैसी प्राचीन वस्तुओं का प्रावधान करना है जो किसी अन्य स्थान से संबंधित हैं और इसलिए उन्हें स्थानीय संग्रहालयों में रखा जाना चाहिए या जमा किया जाना चाहिए। इन्हें हटाने से, स्थानीय सरकार को अधिसूचना द्वारा निषेध करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है और खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि वस्तु चल है, तो मालिक सरकार से इसे सीधे खरीदने की मांग कर सकता है और यदि यह अचल है, तो सरकार मालिक को क्षतिपूर्ति करेगी।

निषेध के कारण उसे कोई नुकसान। खंड 20 (अब धारा 19) ऐसी पुरावशेषों की अनिवार्य खरीद से संबंधित है यदि वे उनके संरक्षण के लिए आवश्यक पाए जाते हैं और मालिक सीमा शुल्क विभाग v है।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

व्यक्तिगत या धार्मिक आधार पर उनसे अलग होने के लिए तैयार नहीं। ऐसे मामलों में यह प्रस्ताव किया गया है कि भुगतान की जाने वाली कीमत का आकलन कलेक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, जो स्थानीय सरकार को अपील करने के अधिकार के अधीन है, लेकिन यह विचार के लिए है कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम

1894 इसका पालन किया जाना चाहिए और न्यायालयों को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5. विधेयक का तीसरा भाग उत्खनन से संबंधित है और इस तरह के कार्यों को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। 6. नियम बनाने की सामान्य शक्ति खंड 22 (अब धारा 23) द्वारा दी गई है, और खंड 23 (अब धारा 24) का उद्देश्य उस कानून के तहत किए गए या सद्भावना से किए जाने वाले कार्यों की रक्षा करना है, जिसे अब अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

22. धारा 2, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 2. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी न हो

विषय या संदर्भ में अप्रिय,

(1) " "प्राचीन स्मारक" से कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई ट्यूमलस या अंत्येष्टि का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान-मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है, या उसके कोई अवशेष शामिल हैं।

(क) एक प्राचीन स्मारक का स्थल;

(ख) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा जो ऐसे स्मारक में बाड़ लगाने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो; और

(3) " आयुक्त "में कोई भी अधिकारी शामिल है जो [केंद्र सरकार] द्वारा इसके तहत आयुक्त के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत है। अधिनियम;

(4) " रखरखाव और "रखरखाव" में बाड़ लगाना, ढकना, मरम्मत करना, पुनर्स्थापना और एक संरक्षित स्मारक की सफाई शामिल है, [2019] 4 एस. सी. आर.

और ऐसा कोई कार्य करना जो किसी संरक्षित स्मारक को बनाए रखने या सुविधाजनक पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

वहाँ;

(5) " भूमि में एक राजस्व-मुक्त संपत्ति, एक राजस्व-भुगतान करने वाली संपत्ति, शामिल है।

और स्थायी हस्तांतरणीय कार्यकाल, चाहे वह ऐसी संपत्ति हो या

दायित्वों के अधीन रहते हुए या नहीं; और (6) " "मालिक" में एक संयुक्त मालिक शामिल है जिसकी शक्ति के साथ निवेश किया गया है

और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी के पद पर उत्तराधिकारीः बशर्ते कि इस अधिनियम में कुछ भी विस्तार करने के लिए नहीं माना जाएगा

ऐसी शक्तियाँ जिनका उपयोग ऐसे प्रबंधक द्वारा कानूनी रूप से किया जा सकता है या

ट्रस्टी। 23. धारा 17 पुरावशेषों के हस्तांतरण से संबंधित हैः

" 17. प्राचीन वस्तुओं के स्वामित्व आदि के हस्तांतरण की सूचना दी जानी चाहिए

पंजीकरण अधिकारी। - जब भी कोई व्यक्ति स्थानांतरण करता है

किसी भी अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी पुरातनता का स्वामित्व, नियंत्रण या अधिकार धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना

ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे रूप में, जो हो सके, सूचित करेगा

24. धारा 22 इस प्रकार हैः " 22. क्षेत्राधिकार-तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगा

इसके खिलाफ अपराध के आरोप में किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र

अधिनियम "।

25. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पुरातनता (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम,

लागू हुआ। उक्त अधिनियम को पुरावशेष द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

हम अपीलार्थी की दलीलों में से एक के साथ अधिनियम में निहित कुछ प्रावधानों का उल्लेख करेंगे।

26. इसके बाद प्राचीन स्मारक और पुरातत्व

और अवशेष अधिनियम, 1958 जो विशेष रूप से एक अन्य अधिनियम है

विचाराधीन अधिनियम की धारा 30 में अधिनियमित किया गया।

27. उद्देश्यों और कारणों का कथन इंगित करेगा,

कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 और प्राचीन सीमा शुल्क विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेषराष्ट्रीय महत्व का ह्रास) अधिनियम, 1951, प्राचीन स्मारकों के लिए लागू दो अधिनियम थे।

इसे आगे इस प्रकार बताया गया हैः

" जबकि संविधान ने विषय को वितरित किया है-विषय के तहत

तीन अलग-अलग प्रमुख 1904 का अधिनियम सभी प्राचीन काल को नियंत्रित करता है।

स्मारक, चाहे वे केंद्रीय क्षेत्र में हों या राज्य क्षेत्र में, और सभी कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार को निहित करती हैं। प्राचीन स्मारकों से संबंधित मौजूदा कानून की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वर्तमान विधेयक केंद्र में एक स्व-निहित कानून होने का तात्पर्य रखता है जो विशेष रूप से सूची 1 की प्रविष्टि 67 के तहत आने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों आदि और पुरातात्विक स्थलों पर लागू होगा और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 40 के तहत आता है। साथ ही, राज्य सरकारों को राज्य सूची में प्रविष्टि 12 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन स्मारक आदि के संबंध में इसी तरह का कानून बनाने की सलाह दी जाएगी। इस तरह, केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा और इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अधिकार क्षेत्र के मौजूदा भ्रम और अतिव्यापीता

1904 हटा दिया जाएगा "।

28. धारा 2 (बी) प्राचीनता को उसी तरह परिभाषित करती है जैसे प्राचीनता ने किया है।

पुरावशेष अधिनियम के तहत परिभाषित। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है -

बनाम ः

अभिलेख या अन्य दस्तावेज जो वर्तमान में निहित हैं। अधिनियमन। "कला खजाना" शब्द अधिनियम में शामिल नहीं किए गए थे। यह अधिनियम स्मारकों, संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित है।

निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र। इसने एक राष्ट्रीय

धारा 20 एफ के तहत स्मारक प्राधिकरण (डब्ल्यू. ई. एफ. 29.3.2010)। धाराओं में प्राचीनता से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। 25 और अधिनियम का 26, जो निम्नानुसार हैः

" 25. पुरावशेषों के स्थानांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। - (1) यदि केंद्र सरकार मानती है कि कोई भी [2019] 4 एस. सी. आर.

केंद्र की मंजूरी के बिना पुरावशेषों या पुरावशेषों के वर्ग को उस स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए जहां वे हैं।

सरकार, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि ऐसी कोई भी पुरातनता या कोई भी वर्ग

लिखित के अलावा ऐसी पुरावशेषों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

महानिदेशक की अनुमति।

(2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो हो सकें -

निर्धारित किया गया।

(3) अनुमति देने से इनकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार से अपील कर सकता है जिसका निर्णय

अंतिम हो।

26. केंद्र सरकार द्वारा पुरावशेषों की खरीद। - (1)

यदि केंद्र सरकार को आशंका है कि कोई प्राचीनता

धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में उल्लिखित है कि नष्ट होने, हटाने, घायल होने, दुरुपयोग होने या क्षय होने का खतरा है या यह राय है कि इसके ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के कारण, यह है

ऐसी पुरातनता को सार्वजनिक स्थान पर संरक्षित करने के लिए वांछनीय, केंद्र सरकार [ऐसी प्राचीनता के अनिवार्य अधिग्रहण] के लिए आदेश दे सकती है और कलेक्टर इसके बाद नोटिस देगा।

पुरातनता के मालिक को [जिसे अर्जित किया जाना है]। (2) जहाँ किसी भी पुरातनता के संबंध में उप-धारा (1) के तहत [अनिवार्य अधिग्रहण] की सूचना जारी की जाती है, वहाँ ऐसी पुरातनता उस तारीख से केंद्र सरकार में निहित होगी।

नोटिस से।

(3) इस धारा द्वारा दी गई [अनिवार्य अधिग्रहण] की शक्ति वास्तव में उपयोग की गई किसी भी छवि या प्रतीक तक नहीं फैलेगी। प्रामाणिक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए "।

. धारा 30 दंड का प्रावधान करती है और यह निम्नानुसार हैः

" 30. दंड. - (1) जो भी हो -

संरक्षित स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, घायल करता है, बदलता है, विकृत करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करता है, या

) किसी संरक्षित स्मारक का स्वामी या अधिभोगकर्ता होने के नाते, धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश का उल्लंघन करता है या

धारा 10 की उप-धारा (1), या ग्राहक विभाग v.

((iii) किसी संरक्षित स्मारक से किसी भी मूर्तिकला, नक्काशी को हटा देता है,

छवि, बेस-रिलीफ, शिलालेख, या इसी तरह की अन्य वस्तु, या

((iv) धारा 19 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में कोई कार्य करता है,

दंडनीय होगा [कारावास जो दो तक बढ़ सकता है]

वर्ष), या [जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है], या

दोनों के साथ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी के उल्लंघन में किसी भी पुरातनता को स्थानांतरित करता है

धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना

[कारावास जो दो वर्ष तक बढ़ सकता है या

जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है] और किसी व्यक्ति को ऐसे किसी उल्लंघन के लिए दोषी ठहराने वाला न्यायालय

आदेश ऐसे व्यक्ति को उस स्थान पर पुरातनता को बहाल करने का निर्देश देता है

जिसे स्थानांतरित कर दिया गया था। "

(जोर दिया गया)

30. धारा 39 एक निरसनकारी प्रावधान है और यह इस प्रकार हैः

" 39. रद्द करें और बचत करें। - (1) प्राचीन और ऐतिहासिक

स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (घोषणा)

राष्ट्रीय महत्व का) अधिनियम, 1951 (1951 का 71) और धारा 126

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) निरस्त कर दिया।

(2) प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (के 7)

1904) , प्राचीन और ऐतिहासिक के संबंध में प्रभाव समाप्त हो जाएगा

या द्वारा घोषित स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष

इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का होना, सिवाय किसी संबंध के

शुरू होने से पहले की जाने वाली या छोड़ी जाने वाली चीज़ें

यह अधिनियम "।

31. अब यह पता लगाने के लिए संविधान को देखने का समय आ गया है विषय के संबंध में विधायी क्षेत्र का विभाजन।

32. संघ सूची की प्रविष्टि 67 इस प्रकार हैः

" प्रविष्टि 67, संघ सूची-प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख, और पुरातात्विक स्थल और अवशेष, द्वारा या उनके तहत घोषित किए गए संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए।

33. राज्य सूची की प्रविष्टि 12 में संसद द्वारा या उसके अधीन बनाए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों के अलावा अन्य अभिलेखों का प्रावधान है। 34. समवर्ती सूची की प्रविष्टि 40 में पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के अलावा अन्य अवशेषों का प्रावधान है जिन्हें संसद द्वारा या कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।

35. राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून हैं। हमने देखा है कि अधिनियम के पारित होने के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और वर्ष 1947 में आधारित पूर्ववर्ती कानून को निरस्त करने का प्रावधान प्राचीन वस्तुओं से संबंधित व्यापक कानून का प्रावधान करना था। पुरावशेषों ने उस कानून में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जो वर्ष 1904 में बनाया गया था जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्र की विरासत प्राचीन स्मारकों के रूप में अचल संपत्तियों में निहित है। दूसरी ओर पुरावशेष अनिवार्य रूप से चलने योग्य वस्तुएँ होंगी।

जो बात इसे प्राचीन बनाती है, वह है ऐतिहासिक या पुरातात्विक मूल्य जो इस वस्तु से जुड़ा हुआ है।

36. 1904 का अधिनियम और प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एक सामान्य वंश का संकेत देते हैं।

समानता का संदर्भ अनिवार्य रूप से इतिहास द्वारा प्रदान किया गया है। यह राष्ट्र की विरासत और इतिहास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। सभी कानून प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के साथ-साथ पुरावशेषों की रक्षा करने के कानून के इरादे को दर्शाते हैं। इसके अलावा

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरावशेष अधिनियम के तहत, कला के ऐसे खजाने जो कला का मानव कार्य हैं, जो प्राचीन वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि जो कला के खजाने के रूप में घोषित अधिसूचना के माध्यम से कला के खजाने बन जाते हैं, से भी निपटा जाता है।

के साथ। इजसडेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करने से पहले जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, उनमें से एक यह है कि क्या वंश पहले से ही संपूर्ण है।

निर्दिष्ट श्रेणियों में गणना की गई। इस संबंध में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में निम्नलिखित चर्चा देखें (पृष्ठ 512):

" ..... यदि पूर्ववर्ती शब्द केवल एक वंश के विनिर्देशों का गठन नहीं करते हैं, बल्कि एक पूर्ण वंश का वर्णन करते हैं, तो नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। बीमा पॉलिसी में, बीमा को पॉलिसी को समाप्त करने के विकल्प के रूप में दिया गया था यदि वे चाहते थे कि 'इस तरह के परिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से जो भी हो'; किसी भी संदर्भ में संदर्भित शब्द 'इस तरह के परिवर्तन के कारण' और ग्राहक विभाग v.

बीमित संपत्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य जिससे आग लगने का खतरा बढ़ गया था; इन परिस्थितियों में प्रिवी काउंसिल ने इजस्डेम जेनरिस के नियम द्वारा 'या किसी अन्य कारण से जो भी हो' शब्दों का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया। लॉर्ड वॉटसन ने कहाः " वर्तमान मामले में, इसके आवेदन के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्ववर्ती खंड इसमें केवल विनिर्देशों का विनिर्देशन नहीं है लेकिन

एक पूर्ण वंश का वर्णन "।

37. लेकिन उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है क्योंकि उन अधिनियमों की गणना करने के बाद जो हम पहले ही मान चुके हैं

जीनस यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जीनस की श्रेणियां समाप्त हो गई हैं। बल्कि ये दो अधिनियम जो विशेष रूप से धारा 30 में सन्निहित हैं, उनके बाद सामान्य शब्द हैं जो इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" शब्दों का उपयोग किया जाता है। 'किसी भी अन्य कानून' शब्दों पर एक व्यापक व्याख्या या संकीर्ण व्याख्या की जा सकती है। विशेष रूप से, शाब्दिक रूप से व्याख्या किए गए "अन्य कानून" शब्दों से पहले "कोई भी" शब्द का उपयोग हमें यह घोषणा करने की अनुमति दे सकता है कि सभी लागू कानूनों का उद्देश्य पुरावशेष अधिनियम के पारित होने के बाद भी लागू होना है। दूसरा दृष्टिकोण अधिनियम के संदर्भ को ध्यान में रखना होगा और फिर भी उस उद्देश्य को आगे बढ़ाना होगा जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान पर एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। 38. हम सोचेंगे कि हालांकि 'कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून' शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन प्रावधान के उपयोग के संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमने दो विशिष्ट अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया है जो दर्शाते हैं कि उक्त कानून पुरावशेषों से भी संबंधित है क्योंकि यह प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों जैसे संज्ञानात्मक विषयों से संबंधित है। सामान्य वंश प्रकट है। विधायी इरादा यह घोषणा करना था कि पुरावशेष अधिनियम के परिणामस्वरूप संबद्ध या संज्ञानात्मक कानूनों में निहित प्रावधान नहीं होना चाहिए

पुरातनता अधिनियम पारित होने पर ओवरराइड किया गया। पूर्ण खेल का उद्देश्य दोनों अनुबंधों में निहित पुरावशेषों के संबंध में निहित प्रावधानों के लिए था। पुरातनता अधिनियम के पारित होने के बावजूद, उदाहरण के लिए एक अभियोजन बनाए रखने योग्य होगा यदि प्राचीनता के संबंध में दोनों अधिनियमों के तहत कोई मामला बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, पुरावशेष अधिनियम उन प्रावधानों का अपमान नहीं है। उन्हें मौजूदा कानूनों का पूरक बनना था। इसलिए इसी संदर्भ में हम [2019] 4 एस. सी. आर.

'तत्काल लागू कोई अन्य कानून' शब्दों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून हो सकते हैं जो पुरातनता से संबंधित हैं। कोई अन्य कानून हो सकता है जो एक सामान्य वंश के साथ एक विषय से संबंधित है जिसका विशिष्ट कानून एक अभिन्न अंग होगा। ये ऐसे सभी कानून हैं जिन्हें विधायिका 'कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून' अभिव्यक्ति के भीतर समझने का इरादा रखती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला लें जहां एक प्राचीन वस्तु की चोरी हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अभियोजन बनाए रखने योग्य नहीं होगा। इसका जवाब एक जोरदार नहीं होगा। निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष झूठ बोलेगा। वस्तु बिक्री अधिनियम जो आम तौर पर चल वस्तुओं से संबंधित है, इस हद तक लागू होगा कि यह विचाराधीन अधिनियमों में किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। अनुबंध अधिनियम लागू रहना जारी रख सकता है। लेकिन यह सामान्य कानूनों को लागू करने का सवाल नहीं है जो विधायिका का ध्यान आकर्षित करते हैं। धारा 30 के पीछे का इरादा जैसा कि उल्लेख किया गया है, किसी भी अन्य कानून के लिए प्रावधान करना है जो पुरातनता से संबंधित है और पुरातनता अधिनियम के पारित होने के बाद भी इसकी प्रवर्तनीयता घोषित करता है। इस मामले के उस दृष्टिकोण में हमारा विचार है कि 'कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून' शब्दों का अर्थ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में किया जाना चाहिए।

39. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यापक आयात को अधिनियम में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों द्वारा नकार दिया जा सकता है।

40. यह याद रखना चाहिए कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 में पहले से ही सीमा शुल्क अधिनियम को लागू करने का प्रावधान किया गया है

जिसे हम पहले ही समझा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, सीमा शुल्क अधिनियम दो योग्यताओं के अधीन लागू होता है। सबसे पहले, यह उन जगहों को छोड़कर लागू होगा जहां सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान पुरावशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। दूसरे शब्दों में, यदि पुरातनता अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं, जो सीमा शुल्क अधिनियम के साथ असंगत हैं, तो पुरातनता अधिनियम के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होंगे।

41. सीमा शुल्क अधिनियम की प्रयोज्यता पर दूसरी सीमा धारा 125 में निहित विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में है और

धारा 125 के तहत आम तौर पर उपलब्ध कराए गए विकल्प को अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार विस्तारित नहीं किया जाना है। फिर भी आगे विधायिका ने धारा 25 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ पहलुओं को शामिल करने का ध्यान रखा है। यह प्रावधान है कि धारा 25 के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ज़ब्त करने या जुर्माना लगाने की शक्ति को नहीं खोएगा

स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया। इसने धारा 26 में अभियोजन के लिए मंजूरी का प्रावधान किया है। विधायिका उपभोक्ता विभाग के मौजूदा प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से सचेत थी।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम जब इसने पुरातनता अधिनियम, 1972 पारित किया। यह दोनों अधिनियमों की परस्पर क्रिया के प्रति सचेत था और इसने तदनुसार बनाया

सीमा शुल्क अधिनियम धारा 4 और धारा 25 में दिए गए तरीके से लागू होता है। अब धारा 4 और धारा 25 के साथ, यदि हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क को स्वीकार करते हैं कि सीमा शुल्क

अधिनियम को धारा 30 के तहत 'कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून' के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए हमें यह मानने के लिए राजी किया जाता है कि

अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अतिरिक्त है और इसका परिणाम इस प्रकार होगाः

सीमा शुल्क अधिनियम पूरे बल के साथ लागू होगा और पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 पर इस तरह के आवेदन का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ओर धारा 4 घोषणा करती है कि सीमा शुल्क अधिनियम लागू होगा, सिवाय इसके कि यह पुरावशेष अधिनियम के अनुरूप है। पुरावशेष अधिनियम

इसलिए, एक विसंगति के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम पर प्रबल होगा। इसी तरह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 का एक संशोधित अनुप्रयोग भी है। अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम का अनुप्रयोग इस प्रकार इसे अधिनियम की धारा 4 के साथ टकराव में लाएगा और हमारे विचार में यह निश्चित रूप से विधायी इरादा नहीं होता। समान रूप से जैसा कि हमने नोट किया है कि पुरातनता अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन के बावजूद विधायिका ने जुर्माना लगाने और जब्त करने का आदेश देने की शक्तियों को बचाने का ध्यान रखा है। अधिनियम में निहित स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए, हमारा विचार है कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 30 में "कोई अन्य कानून" शब्द में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 शामिल नहीं होगा।

42. अगला सवाल यह है कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियोजन की अनुमति है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 और 26 का क्या प्रभाव है।

पुरावशेष अधिनियम। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने से पहले, हम एक से अधिक अभियोजन की रखरखाव के बारे में कुछ निर्णयों का विज्ञापन कर सकते हैं।

43. शिव दत्त राय फतेह चंद और ओआरएस में। बनाम भारत संघ

& एन. आर. , 1983 (3) एस. सी. सी. 529, मामला केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत उठा। हम पैराग्राफ 25 और 26 में विज्ञापन देना उचित समझते हैं। जो इस प्रकार हैः

25. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कोई भी कार्य या चूक जिसे अधिनियम के तहत चूक माना जाता है, जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, एक अपराध है, कि ऐसा कार्य या चूक [2019] 4 एस. सी. आर. नहीं था।

ऐसे व्यक्ति जिन पर आपराधिक अदालत के समक्ष अपराध का आरोप लगाया जाता है। [एच. एम. सीरवई को देखिएः भारत का संवैधानिक कानून (तीसरा संस्करण) खंड। 1 , पृष्ठ 759]। 'दंड' शब्द व्यापक शब्द है।

महत्व। कभी-कभी इसका मतलब है कि दीवानी कार्यवाही में भी दंडात्मक उपाय के रूप में किसी राशि की वसूली। एक प्रतिक्रिया जो है

आरोप का दोषी है। 26. मकबूल हुसैन बनाम। बॉम्बे राज्य 1953 एस. सी. आर. 730, विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या सीमा शुल्क विभाग बनाम।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिकारियों ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ वस्तुओं को जब्त कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया और जब्त करने के आदेश ने अनुच्छेद 20 के खंड (2) के अर्थ के भीतर एक सजा का गठन किया। उक्त याचिका को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने एस. सी. आर. पृष्ठ 738 पर टिप्पणी की

739 :

" अनुच्छेद 20 के शब्द और उसमें उपयोग किए गए शब्दः

कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण और इस संदर्भ में अभियोजन के समक्ष कार्यवाही का अर्थ कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही शुरू करना या शुरू करना होगा। जो अपराध पैदा करता है और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

44. वी. के. अग्रवाल, सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम। वसंतराज वांजी भाटिया और अन्य 1988 (3) एस. सी. सी. 467, न्यायालय को ओ. एम. एस. अधिनियम की धारा 111 और 135 के तहत अभियुक्त व्यक्ति के बरी होने का सामना करना पड़ा और फिर भी उस पर धारा 85 ई. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

8. हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के तहत विशिष्ट अपराध के संबंध में एक अलग आरोप तैयार किया जा सकता था, इन परिस्थितियों में बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई याचिका सफल नहीं हो सकती है। हमारे द्वारा लिए गए दो निष्कर्ष इस मामले को इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के मानदंडों के भीतर लाते हैं।

एस. एल. आप्टे के मामले में दशकों पहले 1961 (3) एस. सी. आर. 107। उस मामले में 'बेईमानी' के तत्व को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत स्थापित करने की आवश्यकता थी, जबकि इसे भारतीय बीमा अधिनियम की धारा 105 के तहत स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 20 (2), सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और दंड प्रक्रिया की धारा 403 (2) के आधार पर याचिका के संदर्भ में कानून का प्रतिपादन किया है।

बिना किसी अनिश्चितता के कोडः " यदि, इसलिए, अपराध स्पष्ट थे, तो दोहरे खतरे के बारे में नियम का कोई सवाल ही नहीं है जैसा कि Art.20 (2) में सन्निहित है।

संविधान, लागू हो रहा है।

विचार करने के लिए अगला बिंदु के दायरे के संबंध में है। 260 एफ.

सामान्य खंड अधिनियम। हालांकि एस। 26 इसके प्रारंभिक शब्दों में "दो या दो से अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करने वाले कार्य या चूक" को संदर्भित किया गया है, दो शिकायतों में कथित तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि उन दो तत्वों पर जोर दिया गया है जो एक व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले दो अपराधों का गठन करते हैं। यह धारा के समापन भाग से स्पष्ट किया गया है जो संदर्भित करता है "नहीं होगा

एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किया जा सकता है। यदि अपराध समान नहीं हैं लेकिन अलग हैं, तो इस प्रावधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को भी लागू नहीं किया जा सकता है। अतः यह इस प्रकार है कि वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं को दो बार "एक ही अपराध" के लिए दंडित करने की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि दो अलग-अलग अपराधों के लिए, जो अलग-अलग घटकों से गठित या बने हैं, प्रावधान का प्रतिबंध हैः अप्रयोज्य।

गुजरते हुए, यह बताया जा सकता है कि हमने कला पर जो निर्माण किया है। 20 (2) संविधान और एस। 26 जनरल का

खंड अधिनियम सटीक रूप से एस की शर्तों के अनुरूप है। 403 (2) में से

दंड प्रक्रिया संहिता जो चलती हैः

403 (2) किसी भी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बाद में किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए एक अलग

हो सकता है कि उसके खिलाफ पूर्व मुकदमे में आरोप लगाया गया हो।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 403 (1) उत्तरदाता 1 से 3 के बचाव में नहीं आती है, जबकि संहिता की धारा 403 (2) स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ मामले को समाप्त करती है। ” 45. इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में राज्य में बताया गया है

चंद वी. लालू प्रसाद यादव 2017 (8) एस. सी. सी. 1 इस न्यायालय ने पहले के मामले के कानून का परीक्षण किया और अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दियाः

" 40.8 मोनिका बेदी बनाम। ए. पी. राज्य; 2011 (1) एस. सी. सी. 284, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 20 (2) में प्रयुक्त "एक ही अपराध" अभिव्यक्ति के अर्थ पर विचार किया और कहा कि दूसरा अभियोजन और दोषसिद्धि एक ही अपराध के लिए होनी चाहिए। यदि अपराध अलग-अलग हैं, तो दोहरे खतरे के नियम के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः (एससीसी पीपी। 293 &

295 , पैरा 26 और 29)

ग्राहक विभाग v. शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 26. अनुच्छेद 20 (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

" एक ही अपराध के लिए "?

अनुच्छेद 20 (2) के तहत जो वर्जित है, वह यह है कि दूसरा अभियोजन और दोषसिद्धि उसी अपराध के लिए होनी चाहिए। यदि अपराध अलग-अलग हैं, तो नियम के दोगुने होने का कोई सवाल ही नहीं है

खतरा लागू हो रहा है।

29. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ही तथ्य से अलग-अलग अभियोजन और सजा हो सकती है और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 20 (2) द्वारा प्रदत्त संरक्षण उपलब्ध नहीं है। यह तय कानून है कि एक व्यक्ति पर एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जा सकता है और काफी हद तक एक ही तथ्यों पर भी दंडित किया जा सकता है बशर्ते कि दोनों अपराधों के तत्व पूरी तरह से अलग हों और वे एक ही अपराध न हों।

46. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम संजय 2014 (9) एस. सी. सी. 772 में, भारतीय दंड संहिता और/या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (जिसे इसके बाद 'एम. एम. डी. आर. अधिनियम' कहा जाता है) के तहत नदी के तल से खनन के लिए एक आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया था। अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी की ओर से कोई शिकायत नहीं थी। इस न्यायालय का विचार था कि सामग्री एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करती है और सहमति के बिना नदी के तल से रेत और बजरी को बेईमानी से हटाने की सामग्री जो राज्य की संपत्ति है, भारतीय दंड संहिता के तहत एक अलग अपराध है, इसलिए, मजिस्ट्रेट की प्राप्ति पर

आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत अपराध करने के लिए पुलिस रिपोर्ट शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना संज्ञान ले सकती है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जा सकती है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 52. यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि दोहरे खतरे के खिलाफ नियम एक सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार खतरे में नहीं डाला जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 20

यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी तय किया गया है कि ए

बाद के मुकदमे या अभियोजन और सजा पर कोई रोक नहीं है यदि

दोनों अपराधों के तत्व अलग-अलग हैं। "[2019] 4 एस. सी. आर.

47. आइए अब हम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की योजना की जांच करें।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का उद्देश्य स्टाम से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

11. वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने की शक्ति। - (1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए, यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो पूरी तरह से या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है।

अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों (मंजूरी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली) के अधीन, आयात या निर्यात

((क) भारत की सुरक्षा बनाए रखना; (ख) सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता के मानकों का रखरखाव या

नैतिकता;

(ग) तस्करी की रोकथाम;

((घ) किसी भी प्रकार की वस्तुओं की कमी की रोकथाम; (ई) विदेशी मुद्रा का संरक्षण और सुरक्षा या

भुगतान संतुलन; (च) सोने या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की रोकथाम;

(छ) किसी भी कृषि उत्पाद के अधिशेष की रोकथाम या

मत्स्य पालन का उत्पाद;

(ज) वर्गीकरण, श्रेणीकरण के लिए मानकों का रखरखाव या

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का विपणन;

((i) किसी भी उद्योग की स्थापना;

(जे) किसी भी विवरण के माल के घरेलू उत्पादन को गंभीर नुकसान की रोकथाम;

(1) कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक मूल्य के राष्ट्रीय खजाने की सुरक्षा; (एम) समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण; उपभोक्ता विभाग v.

(एन) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का संरक्षण;

(भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर लागू होने वाले किसी भी कानून के साथ आयातित वस्तुओं का अनुपालन;
(टी) किसी भी मामले वाले दस्तावेजों के प्रसार की रोकथाम जो उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

कोई विदेशी राज्य या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है;

(यू) उस समय के लिए किसी भी कानून के उल्लंघन की रोकथाम

बल में होना; और
(v) सामान्य के हितों के लिए अनुकूल कोई अन्य उद्देश्य

सार्वजनिक "। 48. अध्याय IV-B को 3-1-0 से शामिल किया गया।

1969. इसमें धारा 11 एच शामिल है। धारा 11 एच (ए) में प्रावधान है कि जब तक कि संदर्भ में अन्यथा "अवैध निर्यात" की आवश्यकता न हो, इसका अर्थ है इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वस्तु का निर्यात। धारा 11 (i) वस्तुओं के कुछ वर्ग या विवरण के अवैध निर्यात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को निर्दिष्ट करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है, जिस स्थिति में यह निर्दिष्ट वस्तु बन जाएगी जिसके लिए धारा 11 जे, 11 के और 11 एम में अलग-अलग प्रतिबंध हैं। अध्याय के अंतर्गत आने वाली धारा 11 एन

आई. वी. सी. केंद्र सरकार को छूट देने की शक्ति प्रदान करता है। वह इस प्रकार हैः

" 11 एन. छूट देने की शक्ति। - यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आम तौर पर, या तो पूरी तरह से या ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकती है जो [2019] 4 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

अधिसूचना, किसी भी वर्ग का माल या सभी या किसी से विवरण

अध्याय IVA या अध्याय IVB के प्रावधान।

49. विभिन्न प्रावधान हैं जो शुल्क लगाने, शुल्क के मूल्यांकन, शुल्क में छूट आदि से संबंधित हैं जिनके साथ हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि एक जब तक उचित अधिकारी द्वारा ऐसे पोत को बाहर की ओर प्रवेश देने का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक पोत सामान और डाक थैलों के अलावा किसी भी निर्यात माल को लोड करने की अनुमति नहीं देगा। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 40

यह विचार करता है कि जब तक उचित अधिकारी द्वारा विधिवत पारित नहीं किया जाता है, तब तक निर्यात वस्तुओं को लोड नहीं किया जाता है। धारा 50 निर्यात वस्तुओं की निकासी की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 50 की उप-धारा (2) और (3) इस प्रकार हैः

" 50. (2) किसी भी माल का निर्यातक, शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत करते समय, इस प्रकार की घोषणा करेगा और उसकी सदस्यता लेगा - इसकी सामग्री की सच्चाई के लिए।

(3) वह निर्यातक जो शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत करता है।

इस धारा के तहत निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात्:

दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता

(अ)

उसमें;

(ख) इसका समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता और वैधता;

और

(ग) इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत माल से संबंधित प्रतिबंध या निषेध, यदि कोई हो, का अनुपालन

समय बल में है "।

50. धारा 100 से 110 ए वाले अध्याय XIII में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का प्रावधान है। धारा 100 भारत आदि में प्रवेश करने या छोड़ने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति से संबंधित है। धारा 103 प्रदान करती है

51. अध्याय XIV में अध्याय का शीर्षक है "वस्तुओं और परिवहन की जब्ती और दंड का अधिरोपण"। धारा 113 प्रदान करती है अनुचित तरीके से निर्यात किए जाने का प्रयास किए गए माल आदि को जब्त करने के लिए।

ग्राहक विभाग v. शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

52. धारा 114 एए गलत और गलत के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है।

उल्लंघन आदि जो स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं। धारा 119 तस्करी के सामान को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को जब्त करने से संबंधित है। धारा 121 तस्करी के माल की बिक्री-आय को जब्त करने से संबंधित है। द. 'तस्करी' शब्द को धारा 2 (39) में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

2 (39) " किसी भी माल के संबंध में तस्करी का अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

53. धारा 125 भुगतान करने का विकल्प देने की शक्ति प्रदान करती है।

ज़ब्ती के बदले में जुर्माना। 54. अध्याय XIVA मामलों के निपटारे से संबंधित है। निपटान आयोग की विभिन्न शक्तियां इसके तहत आने वाले प्रावधानों में निर्धारित की गई हैं।

अध्याय। धारा 127 (एच) अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है।

55. अध्याय XVI में 'अपराध और अभियोजन' का प्रावधान है। इसके तहत धारा 132 और 135 दिखाई देती हैः

" 132. झूठी घोषणा, झूठे दस्तावेज आदि। जो कोई भी संबंधित किसी भी व्यवसाय के लेन-देन में कोई घोषणा, बयान या दस्तावेज़ बनाता है, हस्ताक्षर करता है या उपयोग करता है या करता है, हस्ताक्षर करता है या उपयोग करता है।

रीति-रिवाजों को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज़ किसी भी सामग्री में गलत है

विशेष रूप से, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो

दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

" 135. कर्तव्य या प्रतिबंधों की चोरी। — (1) इस अधिनियम के तहत की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति
(क) किसी भी तरह से किसी भी माल के संबंध में है जो जानबूझकर मूल्य की गलत घोषणा या किसी धोखाधड़ी या चोरी के प्रयास में चिंतित है।

उस पर प्रभार्य किसी शुल्क की चोरी या इस अधिनियम या ऐसे माल के संबंध में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए जा रहे किसी निषेध की चोरी; या

(बी) किसी भी तरह से माल को ले जाने, हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, बेचने या खरीदने या किसी अन्य तरीके से किसी भी तरह से संबंधित है या उस पर कब्जा प्राप्त करता है जो [2019] 4 एस. सी. आर.

वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह धारा 111 या धारा 113, जैसा भी मामला हो, के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है; या (ग) किसी भी माल को निर्यात करने का प्रयास जिसे वह जानता है या जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह धारा 113 के तहत ज़ब्त किए जाने योग्य है; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई शुल्क से किसी छूट का धोखाधड़ी से लाभ उठाना या लाभ उठाने का प्रयास करना, वह दंडनीय होगाः

((i) संबंधित अपराध के मामले में -

((ए) कोई भी वस्तु जिसका बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक हो। रुपये; या

(बी) तीस से अधिक कर्तव्य की चोरी या चोरी का प्रयास

एक लाख रुपये; या

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है; या

((घ) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से धोखाधड़ी से लाभ उठाना या लाभ उठाने का प्रयास करना, यदि -

कटौती या शुल्क से छूट की राशि तीस से अधिक है

एक लाख रुपये, सात साल तक की अवधि के कारावास और जुर्माने के साथः बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत दर्ज किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम के लिए नहीं होगा;

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या धारा 136 की उप-धारा (1) के तहत फिर से इस धारा के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह दूसरे के लिए और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए सात साल तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगाः

बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत दर्ज किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में ऐसा कारावास एक वर्ष से कम के लिए नहीं होगा।

ग्राहक विभाग v. शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.] (3) उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित

पुरस्कार देने के लिए विशेष और पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा

एक वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास की सजा,

अर्थात्: —

((i) यह तथ्य कि अभियुक्त को पहले दोषी ठहराया गया है।

इस अधिनियम के तहत संदर्भ के लिए समय; ((ख) तथ्य यह है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, अभियोजन पक्ष के अलावा, अभियुक्त को जुर्माना देने का आदेश दिया गया है या जो सामान ऐसी कार्यवाही का विषय है, उसे जब्त करने का आदेश दिया गया है या उसके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई की गई है।

अपराध करने के लिए एक द्वितीयक पक्ष; ((iv) अभियुक्त की आयु।

56. धारा 137 अन्य बातों के साथ यह भी प्रदान करती है कि कोई भी अदालत इसे नहीं ले सकती है।

धारा 132,133,134 या धारा 135 ए के तहत किसी भी अपराध का अधिकार, सिवाय प्रधानाचार्य की पूर्व मंजूरी के।

सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। उप-धारा (3) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा अपराध के चक्रवृद्धि के लिए कहा गया है।

137 पर निम्नानुसार लिखा है:

" 137. अपराधों का संज्ञान। - (1) कोई भी अदालत धारा 132, धारा 133, धारा 134 या धारा 135 या धारा 135 ए के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

प्रधान आयुक्त की पूर्व मंजूरी के साथ

सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त।

(2) कोई भी अदालत धारा के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

136 ,

(क) जहाँ अपराध कथित रूप से एक व्यक्ति द्वारा किया गया है

सीमा शुल्क अधिकारी सहायक से कम पद पर नहीं सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क के उपायुक्त

सीमा शुल्क, केंद्रीय की पूर्व मंजूरी को छोड़कर

(ख) जहाँ अपराध सहायक आयुक्त से कम रैंक के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा किया गया है। सीमा शुल्क या सीमा शुल्क उपायुक्त, सिवाय इसके कि

सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त की पिछली मंजूरी

या सीमा शुल्क आयुक्त।

सरकार, ऐसी चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि के ऐसे तरीके से जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) एक व्यक्ति जिसे धारा 135 और 135 क के तहत किसी भी अपराध के संबंध में एक बार समझौता करने की अनुमति दी गई है; (ख) एक व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है जो निम्नलिखित में से किसी के तहत भी अपराध है।

अधिनियम, अर्थात्:

((i) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(61 1985);

((ii) रासायनिक हथियार संधि अधिनियम, 2000 (2000 का 34); ((ग) शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54);

((iv) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53);

(ग) निम्नलिखित में से किसी के अंतर्गत आने वाले माल की तस्करी में शामिल व्यक्ति, अर्थात्: —

(i) परिशिष्ट 3 में विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी की सूची में निर्दिष्ट वस्तुएँ

आई. टी. सी. (एच. एस.) की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के तहत समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति की निर्यात और आयात वस्तुओं का वर्गीकरण;

((ii) विदेश व्यापार (विकास) की धारा 5 के तहत समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति की निर्यात और आयात वस्तुओं के आई. टी. सी. (एच. एस.) वर्गीकरण में आयात और निर्यात के लिए निषिद्ध वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट वस्तुएं।

और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22); उपभोक्ता विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

((ग) कोई अन्य वस्तु या दस्तावेज, जो किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं या उनके लिए अपमानजनक हैं।

राष्ट्रीय सम्मान;

(घ) एक व्यक्ति जिसे इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध के संबंध में एक बार अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

एक करोड़ रुपये;

(ई) एक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत या उसके बाद दोषी ठहराया गया है

30 दिसंबर, 2005 का पहला दिन।

57. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 140, जो नौकाओं द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है, को पुरावशेष अधिनियम की धारा 28 के समान ही कहा जाता है।58. इस मोड़ पर हम 1947 के अधिनियम के प्रावधानों को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा दिए गए लाइसेंस के अधिकार के अलावा प्राचीन वस्तुओं का निर्यात नहीं करेगा।

अल सरकार। धारा 4 इस प्रकार हैः

" 4. 1878 के अधिनियम VIII का अनुप्रयोग। - जिन सभी पुरावशेषों का धारा 3 के तहत निर्यात निषिद्ध है, उन्हें वे वस्तुएं माना जाएगा जिनका निर्यात समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 19 के तहत प्रतिबंधित किया गया है और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे, सिवाय इसके कि उस अधिनियम की धारा 183 के प्रावधानों के बावजूद, उस अधिनियम के तहत अधिकृत कोई भी जब्ती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार,

इस तरह की ओर से इसे आवेदन, अन्यथा निर्देश देता है।

59. 1947 के अधिनियम की धारा 5 दंड और प्रक्रिया से संबंधित थी।

डी इस प्रकार हैः

" 5. दंड और प्रक्रिया। - (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी प्राचीन वस्तु का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास करता है, तो वह किसी भी जब्ती या जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह धारा 4 द्वारा लागू समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी हो सकता है, एक महीने तक की अवधि के कारावास या पांच हजार तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। रुपये, या दोनों के साथ।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में आम तौर पर या विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत की जाए। सरकार, और कोई भी न्यायालय प्रेसीडेंसी [2019] 4 एस. सी. आर. से कम नहीं।

मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई करेगा।

अपराध "।

60. 1947 अधिनियम की धारा 4 के तहत, सभी पुरावशेषों का निर्यात

जो धारा 3 के तहत निषिद्ध है, उन्हें उन वस्तुओं के रूप में माना जाना था जो समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 19 से प्रतिबंधित थे, जहां धारा 183 को छोड़कर समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधान प्रभावी होने थे, जो वर्तमान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के अनुरूप हैं। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 19 निम्नानुसार हैः

" 19. केंद्र सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे लाने या लेने पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क सीमा के पार भारत में या भारत से बाहर किसी भी निर्दिष्ट विवरण के समुद्र या भूमि माल द्वारा

सरकार "।

1947 के अधिनियम की धारा 5 और पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 दोनों में 'किसी भी जब्ती या दंड के प्रति पूर्वाग्रह के बिना' तत्व। 62. 1947 के अधिनियम की धारा 5 में, विधायिका ने उसी शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम ज़ब्ती या जुर्माना है जिसका उपयोग किया गया है।

मजिस्ट्रेट, कुछ सीमाओं से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (धारा 167 (72) और (74) देखें)। धारा 167 (75) उन मामलों से संबंधित है जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा सुनाई गई थी। प्रदान किया गया। सजा की सीमा अलग-अलग थी। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की योजना इस प्रकार वर्तमान सीमा शुल्क अधिनियम 1962 से अलग है। दूसरे शब्दों में, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167 में, मौद्रिक दंड, जब्ती, या दोनों के अर्थ में दंड और अंत में कारावास और/या जुर्माना सभी को सामान्य शीर्षक 'दंड' के तहत वर्गीकृत किया गया था।

63. वास्तव में, हम पाते हैं कि यह न्यायालय सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, कलकत्ता बनाम सीताराम अग्रवाल और एक अन्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. में है। 955 समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की योजना पर विचार किया गया जैसा कि सीमा शुल्क विभाग v में निहित है।

शरद गांधी

[के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 167। धारा 167 (8) में दंड लगाने पर विचार किया गया है।

ज़ब्त करने का दायित्व और माल के मूल्य से तीन गुना अधिक या एक हजार रुपये से अधिक का जुर्माना। अदालत नेधारा 167 (81) के साथ उक्त प्रावधान की तुलना की। प्रावधान पढ़ा गया

इस प्रकार है:

खंड का

अपराध

सजाएं

जो

अपराध है

संदर्भ

" (81) . अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर,

जनरल

ऐसा व्यक्ति

दृ

ढ़ विश्वास

और धोखा देने के इरादे से

पर

मजिस्ट्रेट के सामने

देय किसी भी शुल्क का सरकार

बनो।

उत्तर

दायी

को

आश्रय देना, रखना या

के लिए कारावास

छिपाना या किसी भी तरह से

शर्तें

नहीं।

किसी भी

किसी भी माल से निपटना जो

हद से अधिक

दो

अवैध रूप से हटा दिया गया है

साल या जुर्माना

या

गोदाम से या जो हैं

दोनों के लिए;

एक कर्तव्य के साथ प्रभार्य जिसके पास है भुगतान नहीं किया गया या इसके संबंध में

का आयात या निर्यात

जो कोई निषेध या

प्रतिबंध अभी के लिए है बल, जैसा कि ऊपर कहा गया है; या

यदि कोई व्यक्ति किसी के संबंध में है

किसी भी तरह से सामान जानबूझकर

किसी भी धोखाधड़ी से संबंधित

चोरी या चोरी का प्रयास उस पर प्रभार्य कोई शुल्क या

ऐसे किसी निषेध का या

पूर्वनिर्धारित या किसी के रूप में प्रतिबंध

इस अधिनियम का प्रावधान लागू होता है उन वस्तुओं के लिए ",

इसके लिए कॉलम III में प्रावधान किया गया जुर्माना यह था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती पर वह दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। न्यायालय को उपरोक्त दंडों के संबंध में यह घोषणा करनी थीः

" फिर सीएच आता है। XVI अपराधों और दंडों से निपटता है।

च में गिने गए अपराध। XVI दो प्रकार के होते हैं; पहला अधिनियम और उसके तहत नियमों के उल्लंघन हैं जिन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है और जिसके लिए उनके द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। इन्हें समग्र रूप से सीमा शुल्क अपराध कहा जा सकता है। इनके अलावा आपराधिक अपराध भी हैं जिनसे मजिस्ट्रेट निपटते हैं और जिनके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि और सजा होती है - कारावास और/या जुर्माना। इन दो प्रकार के अपराधों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि शुल्क के भुगतान के मामले में कोई धोखाधड़ी न हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शुल्क के भुगतान के बिना या च के तहत लगाए गए किसी भी निषेध या प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए माल की तस्करी न हो। अधिनियम का IV "।

इस प्रकार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा शुल्क अपराध और आपराधिक अपराध हैं। आपराधिक अपराधों से मजिस्ट्रेट द्वारा निपटा जाता था

जो दोषसिद्धि और कारावास या जुर्माने में समाप्त हो सकता है। इस प्रकार, यह समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की योजना है, जब पुरातनता (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 में प्रावधान किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के लिए अभियोजन दंड लगाने के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा और 'जुर्माना' शब्द को जब्त करने का आदेश सीमा शुल्क अपराधों और आपराधिक अपराधों दोनों में लिया जा सकता है। यदि इसकी व्याख्या आपराधिक अपराधों को शामिल करने के रूप में की जाती है तो 'दंड' शब्द के दायरे में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन के बाद आपराधिक अपराध करने के लिए कारावास या जुर्माना भी शामिल होगा।

64. हम देख सकते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत, दंड और जब्ती अध्याय XIV के तहत आती है। में निहित दंड

अध्याय XIV समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 में सीमा शुल्क अपराधों के अनुरूप होगा। जहाँ तक आपराधिक अपराधों का संबंध है, उनसे अध्याय XVI के तहत अलग से निपटा जाता है। फिर भी विधायिका ने वास्तव में पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 का मसौदा तैयार करते समय 'ज़ब्ती और जुर्माना' शब्द को दोहराने का विकल्प चुना है।

65. दो प्रस्तुतियाँ हैं जिन्हें हमें संबोधित करने की आवश्यकता है जो अपीलार्थी की ओर से की जाती हैं। धारा 4 के आधार पर, असंगति की सीमा को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता है। धारा 132 और 135 के तहत एक ही अभियोजन के आधार पर, बशर्ते कि धारा 132 और 135 में निहित अपराध के तत्व मौजूद पाए जाएं। दूसरा प्रस्तुतिकरण शब्द भी ग्राहकों का विभाग v है।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

' दंड 'जो धारा 25 में निहित है, की व्याख्या व्यापक अर्थों में की जानी चाहिए ताकि मौद्रिक दंड के रूप में दंड के अलावा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत अभियोजन को शामिल किया जा सके। 66. इस संबंध में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत अपराधों के घटकों को निकालना होगा। धारा 132 के तत्व इस प्रकार हैं:

1) बनाना, हस्ताक्षर करना या उपयोग करना या बनाने, हस्ताक्षर करने या करने के लिए प्रेरित करना

किसी भी घोषणा कथन या दस्तावेज़ का उपयोग किया;

2) उपरोक्त अधिनियम किसी भी व्यवसाय के लेन-देन में होना चाहिए

रीति-रिवाजों से संबंधित;

3) ऊपर वर्णित कार्य इस ज्ञान के साथ किए जाने चाहिए या यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा घोषणा कथन

या दस्तावेज़ किसी भी सामग्री विशेष में गलत है।

यदि हम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और अधिनियम की धारा 25 की तुलना करते हैं, तो यह देखा जाएगा कि पुरातनता अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करके किसी भी प्राचीन वस्तु या कला खजाने के निर्यात या निर्यात का प्रयास करने में निहित है। जब कोई व्यक्ति किसी प्राचीन वस्तु का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास करता है तो यह आवश्यक है कि उसका लेन-देन हो। रीति-रिवाजों के संबंध में। यदि किसी प्राचीन वस्तु या कला खजाने के निर्यात या निर्यात के प्रयास के संबंध में सीमा शुल्क के साथ अपने लेन-देन में वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 में निहित किसी भी कार्य को करता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उस पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो पुरातनता अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 में निहित है। इसका जवाब है, नहीं। काफी स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 25 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तत्व एक दूसरे से अलग और अलग हैं। यह सच हो सकता है कि यह वही कार्य या लेन-देन हो सकता है जो दो अलग-अलग अपराधों को जन्म देता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

67. इस मामले में शिकायत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 50 का भी विज्ञापन करती है। धारा 50 इसे कर्तव्य घोषित करती है

प्रेषण बिल या निर्यात बिल की सामग्री की सच्चाई के बारे में घोषणा करने और उसकी सदस्यता लेने के लिए निर्यातक। निर्यातक को अपने द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करनी होती है। उसके पास है

कानून की धारा 50 (3) (सी) का अनुपालन सुनिश्चित करना। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 50 (3) (सी), यह देखा जा सकता है कि यह घोषणा करता है कि निर्यातक [2019] 4 एस. सी. आर. से संबंधित प्रतिबंध या निषेध का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत माल। निश्चित रूप से, धारा 50 (3) (सी) के अर्थ के भीतर प्रतिबंध या निषेध पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 और 26 के साथ पठित धारा 3 को समझेंगे क्योंकि पुरावशेष अधिनियम निश्चित रूप से धारा 50 (3) (सी) के अर्थ के भीतर कुछ समय के लिए एक कानून होगा। निश्चित रूप से, ऐसे प्रावधान पूरक हैं और पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के विरोधी या असंगत नहीं हैं। यदि कोई निर्यातक गलत घोषणा या जानकारी देता है, तो क्या कानून नहीं होना चाहिए?

उससे प्रभावी ढंग से निपटें? धारा 132 सटीक रूप से गलत घोषणा करके जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है दंडनीय है। यह अकल्पनीय है कि धारा 132 नामक ऐसा प्रावधान पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 या 26 के साथ कैसे असंगत होगा। यह किसी भी दर पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 25 निर्यात के लिए अभियोजन का प्रावधान करने के अलावा या

निर्यात का प्रयास, घोषणा करता है कि संबंधित व्यक्ति से मुलाकात की जा सकती है ज़ब्ती की कार्यवाही और दंड के साथ। यहाँ तक कि स्वीकार करते हुए भी

प्रत्यर्थी का यह तर्क कि धारा 25 के तहत जो अनुमति दी गई है वह मौद्रिक दंड के अर्थ में जुर्माना लगाना है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 25 के तहत अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, जब पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन होता है, तो यह मौद्रिक दंड के रूप में जब्ती और जुर्माना लगाने पर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 में निहित एक अलग और अलग अपराध के लिए अभियोजन किसी भी तरह से धारा 25 के साथ असंगत होने के रूप में निषिद्ध है। इस संबंध में

हालांकि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी देने वाला प्राधिकरण पुरावशेष अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने के अधिकार से अलग है, धारा 26 के तहत अभियोजन को मंजूरी देने का अधिकार केवल पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकरण सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन को स्वीकार करने का विशेष प्राधिकरण है। इसलिए, यदि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन सक्षम द्वारा उचित मंजूरी के बाद बनाए रखा जाता है तो कोई संघर्ष नहीं हो सकता है।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्राधिकरण। यह किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 25 या धारा 26 का उल्लंघन नहीं करेगा।

68. धारा 133 सीमा शुल्क अधिकारियों के अवरोध से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग में सीमा शुल्क के किसी भी व्यक्ति को बाधित करता है तो वह सजा के लिए उत्तरदायी है। धारा 134 एक रेडियोलॉजिस्ट को स्क्रीन करने या डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स लेने की अनुमति देने के प्रतिरोध या इनकार को दंडित करती है।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 103 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति की सलाह के आधार पर कार्रवाई का विरोध या अनुमति देने से इनकार करके उसके शरीर की एक्स-रे तस्वीर।

धारा 103 के तहत प्रदान किए गए अनुसार अपने शरीर के अंदर स्रावित माल को बाहर लाने के लिए पंजीकृत चिकित्सक। एक ऐसी स्थिति को लें जहां एक व्यक्ति अपने शरीर में एक पुरातनता को छुपाता है और धारा 134 का प्रकोप होता है।

क्या उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन वर्जित है? चूंकि मामले में इन धाराओं के तहत अभियोजन शामिल नहीं है, इसलिए हम इसके संबंध में कोई अंतिम घोषणा नहीं कर रहे हैं।

69. अपीलार्थी द्वारा दायर की गई शिकायत को देखने का अब समय आ गया है। अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत इस प्रकार दिखाई देती हैः

18/02/1995 पर संदेह के आधार पर लकड़ी के एक डिब्बे को रोका गया था। कूरियर मैनिफेस्ट में उक्त लकड़ी के डिब्बे की सामग्री को 'पत्थर की आकृति हस्तशिल्प' घोषित किया गया था। इसे एक पुरातनता होने का संदेह करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को बुलाया गया और इसे एक प्राचीनता घोषित किया गया और उनकी पहचान इस रूप में की गई

बुद्ध का एक रेत पत्थर का सिर। प्रतिवादी का बयान था

अपने मुवक्किल श्री रॉबर्ट जेगर द्वारा दी गई घोषणा तैयार की। अन्य आरोप भी हैं। अंत में इसे आगे इस प्रकार कहा गया हैः
46

एम. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जब्त प्राचीन वस्तु को निर्यात करने का प्रयास किया था। आई. ई. बुद्ध का रेत पत्थर का सिर अवैध रूप से जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया हैः (i) अभियुक्त ने एक काल्पनिक नाम का इस्तेमाल किया। श्री रॉबर्ट जेगर ने अपने नाम के प्राचीन टुकड़े को बुक करने के लिए कहा, जिनके लिए वह कोई पहचान विवरण/संदर्भ विवरण प्रदान करने में विफल रहे। वह यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में भी विफल रहे कि उक्त प्राचीन टुकड़ा उन्हें उक्त रॉबर्ट जेगर द्वारा सौंपा गया था। वास्तव में, यदि श्री रॉबर्ट जेगर वास्तव में मौजूद होते, तो आरोपी ने उनसे जब्त किए गए प्राचीन टुकड़े की खरीद को दर्शाने वाली रसीद प्राप्त की होती और वह उनसे नकदीकरण प्रमाण पत्र के रूप में भी प्राप्त करता, जिसे प्राप्त करने/पेश करने में वह विफल रहा-आरोपी ने उक्त श्री रॉबर्ट जेगर से कोई लिखित अधिकार/घोषणा भी प्राप्त नहीं की, जिसमें उन्हें अपनी ओर से पार्सल निर्यात करने के लिए अधिकृत किया गया था।

((ii) अभियुक्त ने स्वयं अपनी लिखावट में झूठा प्रोफार्मा बिल तैयार किया और प्रोफार्मा बिल पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और एयरवे बिल पर भी हस्ताक्षर किए कि उक्त टुकड़ा एक प्राचीन था।

(iii) उपयोग किए गए इक्का ने जानबूझकर और जानबूझकर तथ्यों को छुपाया और इस प्रभाव का एक गलत प्रमाण पत्र जारी किया कि बुद्ध का रेत पत्थर का सिर नया और एक गैर-पुरातनता था।

उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत।
70. अधिनियम की धारा 26 के तहत, धारा के तहत एक अभियोजन

71. अंत में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (1) (ए) पर आते हुए, तीसरा अंग जो अकेले इस मामले में लागू किया जाता है, धोखाधड़ी से दंडित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम या ऐसे माल के संबंध में तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए गए किसी भी प्रतिबंध से बचना या बचने का प्रयास करना।

72. अब, शिकायत के अंतिम भाग के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 3 के तहत प्राचीन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का संदर्भ है।

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के साथ पठित पुरावशेष अधिनियम, जिसके आधार पर निर्यात और आयात नीति, 1992 के अध्याय 11 के अनुच्छेद 123 में जारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत प्रतिबंध जारी किए गए माने जाते हैं।

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

जो विदेशी व्यापार पलायन और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत जारी किया गया माना जाता है, विशेष रूप से उन निर्यात वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित हैं।

इसके बाद, निम्नलिखित क्या महत्वपूर्ण हैः -

" 4. अभियुक्त ने बरामद और जब्त की गई पुरातनता की घोषणा नहीं की

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 50 के तहत आवश्यकता के अनुसार और उपरोक्त बरामद और जब्त की गई प्राचीन वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की धोखाधड़ी/चोरी के प्रयास में जानबूझकर चिंतित था। इस प्रकार, अभियुक्त ने सीमा शुल्क की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।

अधिनियम, 1962 "।

अभियोजन धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत चलाया जाता है।

फास्टम्स अधिनियम, 1962।

73. विदेश व्यापार की धारा 3 (विकास और विनियमन)

1992 इस प्रकार पढ़ता हैः -

" 3. आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियाँ। (1) केंद्र सरकार, में प्रकाशित आदेश द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, विकास के लिए प्रावधान करें और

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निषेध, प्रतिबंध या प्रतिबंध का प्रावधान भी कर सकती है। अन्यथा, सभी मामलों में या मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश द्वारा या उसके तहत किए जा सकते हैं, वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात को विनियमित करना या

तकनीकः

बशर्ते कि सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में इस उप-धारा के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ उठा रहा हो या निर्दिष्ट सेवाओं या निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ काम कर रहा हो। (3) जिन सभी वस्तुओं पर उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश लागू होता है, उन्हें वह माल माना जाएगा जिसका आयात या निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के तहत प्रतिबंधित किया गया है और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।

(4) किसी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई परमिट या लाइसेंस नहीं होगा।

किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात के लिए आवश्यक, न ही किसी भी वस्तु को आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि आवश्यकता हो।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत।

74. इस मामले की प्रासंगिकता धारा 3 की उप धारा 3 है। यह.

यह घोषणा करना अभिप्रेत है कि जिन सभी वस्तुओं पर उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश लागू होता है, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत निषिद्ध माल माना जाएगा। आयात निर्यात नीति 1992-1997 का पैरा 123 इस प्रकार हैः

" 123. बिना किसी प्रतिबंध के सभी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है सिवाय इसके कि -

इस तरह के निर्यात को नकारात्मक सूची द्वारा विनियमित किया जाता है

निर्यात या इस नीति का कोई अन्य प्रावधान या कोई अन्य कानून

समय बल में है। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशक निर्दिष्ट कर सकते हैं।

एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नियमों और शर्तों के अनुसार

जिन वस्तुओं को निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें बिना लाइसेंस के निर्यात किया जा सकता है। इस तरह के नियमों और शर्तों में न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम. ई. पी.), निर्दिष्ट पंजीकरण शामिल हो सकते हैं।

प्राधिकरण, मूल्यवर्धन, मात्रात्मक सीमा और अनुपालन

अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों के साथ।

नकारात्मक सूची में रखी गई वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो पूरी तरह से निषिद्ध वस्तुएँ हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 पुरातनता या कला खजाने के निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यह केंद्र सरकार या व्यक्तियों द्वारा निर्यात को स्वीकार करती है

अधिकृत।

75. इसलिए, धारा 135 (1) (ए) के संबंध में अभियोजन इस आधार पर शुरू किया जाता है कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 प्राचीन वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करती है और इसे विदेश व्यापार की धारा 3 के साथ पढ़ा जाता है।

और वर्ष के लिए निर्यात और आयात नीति के साथ पढ़ा गया विकास अधिनियम 1992 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 में लाया गया।

76. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (1) (ए) के अंतिम अंग में, अपराध के तत्व धोखाधड़ी से चोरी या चोरी करने का प्रयास हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत या ऐसे सामानों के संबंध में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए जा रहे किसी भी प्रतिबंध से बचना। वर्ष 1992 के लिए आयात-निर्यात नीति के आधार पर ग्राहक विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (3) के प्रावधानों द्वारा खजाने प्रतिबंधित हो गए। धारा 135 (1) (ए), जहाँ तक तीसरे अंग के तहत अभियोजन का संबंध है, के तहत कहा जा सकता है सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 को धारा 135 (1) (ए) के साथ पढ़ा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 (1) की सहायता से भी। यह इसे पुरावशेष अधिनियम की धारा (3) को भी लागू करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में निहित निषेध से धोखाधड़ी से बचने या बचने का प्रयास करने के लिए अभियोजन का मामला बना देगा। धारा 135 (1) (ए) के अंतिम अंग का दूसरा भाग धोखाधड़ी से बचने या किसी अन्य कानून में निहित निषेध से बचने के प्रयास के लिए अभियोजन की अनुमति देता है।

इस मामले के तथ्यों में उक्त निषेध पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित निषेध को आकर्षित करेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जहां तक उक्त अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन का संबंध है, अपराध के घटकों में पुरावशेष या कला खजाने का निर्यात या निर्यात करने का प्रयास शामिल है। इसके विपरीत, धारा 135 (1) (ए) के तहत अपराध के घटकों में एक अतिरिक्त और अलग तत्व शामिल है, अर्थात्, धोखाधड़ी से बचने या माल के निर्यात के मामले में निषेध से बचने का प्रयास करना या माल के निर्यात का प्रयास करना जो निषिद्ध हैं। चाहे वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत माने गए निषेध के आधार पर हो या पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित निषेध के आधार पर हो।

केवल धारा 135 (1) (ए) के तीसरे अंग में अभियोजन को बनाए रखने के लिए, अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त

धोखाधड़ी से बचने या निर्यात के खिलाफ प्रतिबंध से बचने का प्रयास किया। इसलिए, उक्त अर्थ में, धारा 135 (1) (ए) के तहत अपराधों के तत्व और पुरावशेष अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध अलग और विशिष्ट हैं।

77. हालाँकि, सवाल यह उठेगा कि क्या पुरावशेष अधिनियम की धारा 4 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन के तहत धारा 135 (1) (ए) जब यह पुरावशेष अधिनियम की धारा 3 में निहित निषेध से धोखाधड़ी से बचने या बचने का प्रयास करने के आधार पर है, तो यह पुरावशेष अधिनियम की धारा 26 के साथ पठित धारा 25 के साथ असंगत होगी। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन [2019] 4 एस. सी. आर. है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की मंजूरी के आधार पर किया जाना जो वैधानिक मंजूरी प्राधिकरण है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत अभियोजन की तरह, 135 (1) (ए) के तहत अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर होना चाहिए, न कि पुरावशेष अधिनियम के आधार पर।

78. अंतिम पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है, वह है पुरावशेष अधिनियम की धारा 24 का प्रावधान। धारा 24 की शक्ति से संबंधित है -

तय करें कि कोई लेख पुरातनता का खजाना है या कला का खजाना। यह घोषणा करता है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी वस्तु, वस्तु या वस्तु या पांडुलिपि अभिलेख या अन्य दस्तावेज के तहत कोई पुरातनता या कला का खजाना है या नहीं है या कला का खजाना है या नहीं है, तो मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृत निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी को भेजा जाना चाहिए और ऐसे प्रश्न पर अधिनियम के उद्देश्य के लिए उनका निर्णय अंतिम होगा। धारा 24 बनाती है

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नामित अधिकारियों के निर्णय के अंतिम होने के बारे में एक घोषणा। शिकायत का अवलोकन, वास्तव में, दिखाएगा

कि अपीलार्थी के लिए एक मामला है कि उन्होंने बुद्ध के पत्थर के सिर की जांच कराई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के अधिकृत मनोनीत व्यक्ति द्वारा एक राय है, जिसमें इसे एक पुरातनता पाया गया है और अपीलार्थी अधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर और विशेष रूप से पुरावशेष अधिनियम की धारा 24 का संदर्भ दिया गया है। धारा 24, जैसा कि देखा गया है, महानिदेशक या उनके अधिकृत मनोनीत व्यक्ति को इस प्रश्न को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है कि क्या वस्तुएं आदि प्राचीन हैं या नहीं या कला का खजाना हैं या नहीं। यह निर्धारण जिसे अंतिम माना जाना है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए है। निस्संदेह, अधिनियम के उद्देश्यों में से एक धारा 25 के तहत अभियोजन होगा।

अधिनियम से। इस मामले में, अपीलार्थी का मामला यह है कि अभियोजन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत है। क्या सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए राय प्राप्त करना आवश्यक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उनके अधिकृत अधिकारी?

79. हमने शिकायत की सामग्री पर ध्यान दिया है। निस्संदेह निर्यात के खिलाफ निहित निषेध का संदर्भ है पुरातनता, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरातनता अधिनियम के तहत। पुरावस्तु अधिनियम की धारा 4 के तहत, सीमा शुल्क अधिनियम को विसंगति की सीमा को छोड़कर लागू किया गया है। दो अधिनियमों के बीच अंतर खेल को निम्नानुसार समझा जा सकता है-जबकि पुरातनता या कला खजाने के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन अनुमत हो सकता है, जब सीमा शुल्क विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई वस्तु पुरातन है या नहीं या कला का खजाना है या नहीं, पुरावशेष अधिनियम की धारा 24 के तहत निहित प्रावधान लागू होंगे और इस प्रश्न का निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक या उनके अधिकृत मनोनीत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और उसके साथ अंतिमता संलग्न की जाएगी। महानिदेशक या उनके अधिकृत अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे जिनके पास आवश्यक ज्ञान, अनुभव होगा और वे विवाद के मामले में एक आधिकारिक राय दे सकते हैं कि कोई वस्तु पुरातनता या कला का खजाना है या नहीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हम सोचेंगे कि हम दोनों प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पूरा ध्यान दे सकते हैं और इससे भी अधिक प्राचीन वस्तु अधिनियम को प्राथमिकता दे सकते हैं, जहां इसे तदनुसार कहा जाता है।

80. यह देखा जा सकता है कि 'असंगति' की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 में पाई जाती है। अनुच्छेद 254 में एक सीमांत है नोट जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगतियों के बारे में बताता है। लेख में कहा गया है

यह कहने पर कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उप-अनुच्छेद (2) के अधीन है। उक्त अनुच्छेद भारत में आंशिक रूप से अर्ध संघीय संरचना के जटिल विषय से निपटने वाला एक संवैधानिक प्रावधान होने के नाते धारा 4 के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकता है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और पुरावशेष अधिनियम के बीच असंगति के बारे में बताता है। हालाँकि, हम केवल के. करुणानिधि बनाम भारत संघ और एक अन्य 1979 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

(3) एससीसी 431। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु पुरुष (आपराधिक दुराचार) अधिनियम, 1973 भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952 के प्रतिकूल नहीं था और यह किसी भी लागू कानून के अतिरिक्त और अपमान में नहीं था। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 24 ..... इससे पहले कि कोई प्रतिकूलता उत्पन्न हो, निम्नलिखित

शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. कि के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति है

केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम। 2. कि इस तरह की असंगति पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है।

3. कि दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच विसंगति ऐसी प्रकृति की है कि दोनों अधिनियमों को प्रत्यक्ष [2019] 4 एस. सी. आर. में लाया जा सके।

एक-दूसरे के साथ टकराव और एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ दूसरे की अवज्ञा किए बिना एक का पालन करना असंभव है।

81. अंत में, इसका सारांश पैराग्राफ 35 में दिए गए निष्कर्षों के साथ दिया गया है जो इस प्रकार हैः

" 35. इसलिए, अधिकारियों के सावधानीपूर्वक विचार पर

ऊपर उल्लिखित, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः

1. कि तिरस्कार के सवाल को तय करने के लिए यह आवश्यक है

यह दिखाया जाए कि दोनों अधिनियमों में असंगत और अपरिवर्तनीय प्रावधान हैं, ताकि वे एक साथ खड़े न हो सकें या

एक ही क्षेत्र में काम करें।

2. कि निहितार्थ द्वारा कोई निरसन नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों कानूनों के सामने असंगति दिखाई न दे।

3. कि जहाँ दो क़ानून एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, लेकिन

दोनों कानूनों के एक-दूसरे से टकराये बिना एक ही क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश या संभावना है, नहीं

प्रतिकूलता परिणाम।

4. कि जहाँ कोई विसंगति नहीं है, लेकिन एक ही क्षेत्र पर कब्जा करने वाला एक क़ानून विशिष्ट और अलग-अलग अपराधों को पैदा करना चाहता है, वहाँ तिरस्कार का कोई सवाल नहीं उठता है और दोनों क़ानून जारी रहते हैं।
उसी क्षेत्र में कार्य करना।

इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दियाः

36. ऊपर प्रतिपादित प्रस्तावों के आलोक में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य अधिनियम अलग-अलग घटकों और अलग-अलग दंडों के साथ अलग-अलग अपराध पैदा करता है और यह करता है।

किसी भी तरह से केंद्रीय अधिनियमों से टकराना नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामले में न्यायालय ने उस प्रावधान पर ध्यान दिया जो अन्य कानूनों को बचाने के लिए प्रदान किया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

इसका आशय यह था कि राज्य अधिनियम जो निस्संदेह प्रमुख विधान था, केवल "तत्काल लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त और अवमूल्यन में नहीं होगा" जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम शामिल थे।

82. हम निम्नलिखित परीक्षण पर भी ध्यान दे सकते हैं जो ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित किया गया है जो कि ग्राहक विभाग v.

शरद गांधी [के. एम. जोसेफ, जे.]

वास्तव में इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में कहा गया है। आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य 2018 (1) एससीसी 407।

उक्त निर्णय का अनुच्छेद 43 इस प्रकार हैः

" 43. दीप चंद बनाम। यू. पी. राज्य, 1959 सप. (2) एस. सी. आर. 8, इस न्यायालय ने ज़वेरभाई अमई दास बनाम में अपने पहले के फैसलों का उल्लेख किया। बॉम्बे राज्य 1955 (1) एससीआर 799 और टीका रामजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1956 एस. सी. आर. 393 और अभिनिर्धारित कियाः

29 ..... " इस प्रकार दो कानूनों के बीच असंगति का पता लगाया जा सकता है।

निम्नलिखित तीन सिद्धांतों के आधार परः

(1) क्या दोनों प्रावधानों के बीच सीधा टकराव है;

(2) क्या संसद राज्य विधानमंडल के अधिनियम के स्थान पर विषय वस्तु के संबंध में एक विस्तृत संहिता निर्धारित करने का इरादा रखती है; और (3) क्या संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि समान है।

मैदान "।

83. हालांकि यह सच हो सकता है कि पुरावशेष अधिनियम एक व्यापक कानून है, लेकिन इसे एक पूर्ण या संपूर्ण संहिता के रूप में नहीं माना जा सकता है। बेशक,

दो विधानसभाओं के बीच विधायी शक्ति के परस्पर विरोधी दावों के संदर्भ में तिरस्कार से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और पुरावशेष अधिनियम दोनों संसद द्वारा बनाए गए हैं।

84. हमने धारा 132 के तत्वों की व्याख्या की है और

135 (1) (क) सीमा शुल्क अधिनियम। हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, वह सीमा शुल्क अधिनियम को इस हद तक पूरा लाभ देगा कि यह सेक्टर 4 के तहत विचार किए गए अधिनियम के साथ असंगत नहीं है। हम जो दृष्टिकोण घोषित कर रहे हैं, वह अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के साथ हिंसा नहीं करता है। इसके विपरीत दृष्टिकोण, जिसने उच्च न्यायालय के हाथों स्वीकृति प्राप्त की है, हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 4 में प्रदान किए गए सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार अर्थ और पूर्ण खेल देने में विफल रहता है। इसके अलावा, यह सिद्धांत कि एक लेन-देन या तथ्यों का एक ही समूह एक से अधिक विशिष्ट अपराध को जन्म दे सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में विधायी इरादा उन प्रावधानों से स्पष्ट हो जो ऐसे अपराधों को पैदा करते हैं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

85. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस प्रकार हैः - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 (1) (ए) के तहत अभियोग, पुरावशेषों या कला खजाने के संबंध में वर्जित नहीं है। तदनुसार, हम 330 की अनुमति देते हैं।

एक अपील करें और विवादित आदेश को रद्द कर दें। दायर की गई शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, हम यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश की घोषणा अदालत के रास्ते में नहीं आएगी।

मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर तय करना। न्यायालय अपने दम पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा और गुण-दोष के संबंध में इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

बी.

देविका गुजराल